Ok"ki % 42(vad % 08 (vxLr % 2020(

(ई–संस्करण)

सीटू मजदूर

23 जुलाई

सीटू–एआईकेएस–एआईएडब्ल्यूयू का देशव्यापी संयुक्त विरोध

नई दिल्ली में सीटू, एआईकेएस और एआईएडब्ल्यूयू के राष्ट्रीय नेता

बाढ़ प्रभावित असम में

कश्मीर घाटी में

झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में

उत्तराखंड की पहाड़ियों में

23 जुलाई

सीटू–एआईकेएस–एआईएडब्ल्यूयू का देशव्यापी विरोध

आन्ध्र प्रदेश

तेलंगाना

छत्तीसगढ़

गुजरात

कर्नाटक

पंजाब

उत्तर प्रदेश

मध्य प्रदेश

सम्पादकीय

सीटू मजदूर

सीआईटीयू का मुखपत्र

अगस्त 2020

सम्पादक मण्डल

सम्पादक

के. हेमलता

कार्यकारी सम्पादक

जे. एस. मजुमदार

सदस्य

तपन सेन,

एम. एल. मलकोटिया,

कश्मीर सिंह ठाकुर,

पुष्पेन्द्र त्यागी,

एच.एस. राजपूत

अंदर के पृष्ठों पर

etnjk dk n'k0;kih fojk/k	
23 tykbZ 2020	4
pukfr;k dk lkeuk dju	
ckgj vk;k etnj ox	
&d geyrk	6
vkbZQk dk yydkj fnol	
&,-vkj- flU/k	8
;fj;k {k= ,o rFkkdfFkr	
vkRefuHkj Hkkjr	
&fu'khFk pk/kjh	11
l;Dr VªM ;fu;u dkjZokgh	17
m|kx ,o {k=	18
jkT;k l	20
miHkkDrk eY; lpdkd	26
vrjk"Vªh;	27

सूक्ष्म स्तर तक जुड़ाव

पहलकदमियां एवं लामबन्दी

dkfon &19 egkekjh vkj y,dMkmu d ckn ,d u, Hkkjr dk vrfojk/k mHkj jgk gA n'k dHkh Hkh igy dh fLFkfr e ugh vk,xkA dkfon gekj lkFk jgu okyk g vkj y,dMkmu ,o çfrcU/k yEc le; rd tkjh jgx tc rd fd n'k dh leph turk dkfon l ÁHkkfor gkdj viuh [kn dh Áfrj{kk ugh fodflr dj yr g ;k Vhdkdj.k d ek/;e l viuh çfrj{kk fodflr dj yr gA

dkfon vkj y,dMkmu dh vkM e ,d ub fLFkfr lkeu vkb g(,d dæh—r lÙkkoknh 'kklu Fkkik x;k g(ykdrkf=d lLFkkuk vkj ekunMk dk y,dMkmu d rgr j[kk x;k g(cfu;knh vkfFkd ljpuk dk /oLr fd;k tk jgk g(futhdj.k vkj ,QMhvkb jkLr l n'kh&fon'kh dEifu;k dk jk"Vªh; lEifÙk vkj çk—frd lk/kuk dk lkiuk(dæh—r] lkçnkf;d vkj okf.kfT;d vu d yu d lkFk 'kf{kd uhfr e cnyko(dkedkth turk d lHkh rcdk etnj] fdlku vkj vU; ij vHkrio gey dfær fd, x, g v/;kn'kk vkj dk;dkjh vkn'kk d ek/;e l —f"k Hkfe vkj mRiknu dk fuxehdj.k vkj ekfydku leFkd Je dkuuk e cnyko d lkFk(egxkb HkÙkk Ýht fd;k tk jgk g(çoklh ,o vlxfBr {k= d etnjk lfgr cMh l[;k e etnj] ukdjh [kk jg g(cjktxkjh c< jgh g(iVkfy;e mRiknk lfgr vko';d oLr vk dh dher c< jgh g & ,d u;k Hkkjr mHkj jgk gA

gkykfd] y,dMkmu] çfrcU/k] iuxZBu d lkFk xgu oxh; d geyk d ckotn(fojk/k vkj çfrjk/k Hkh c< jgk gA çe[k vkUnkyuk e çe[k dæk ij cMh HkhM d LFkku ij] u;k :i n'k0;kih l{e Lrj dh ykecUnh d #i e mHkjk g] tlk fd VªM ;fu;uk] fdlkuk d lxBuk vkj etnj&fdlku l;ä vkUnkyu e lHkh Lor= vkj l;ä dk;Øek e n[ku e vk;k gA gky gh e dk;yk etnjk dh gMrky e Hkh n[kk x;k g fd etnjk dh gMrkyk dk c<rk Tokj l{e Lrj dh igydneh vkj ykecnh d dkj.k Hkh gA bl vuHko d lkFk dkedkth turk xgu vkUnkyu dh vkj c< jgh g tlk fd 9 vxLr d ,frgkfld vkUnkyu e n[kk tk,xkA u, Hkkjr e u;k vkUnkyu mHkj jgk gA

ge viu Lo; d lxBukRed fu.k; yu oky fudk;k d iuxZBu d ek/;e l bl l{e Lrj dh igydneh vkj ykecUnh dk le>uk vkj ,dtV djuk pkfg,] mudk lfØ; djuk vkj tYn l tYn lHkh Lrjk ij Rofjr vkj çHkkoh lpkj ç.kkyh fodflr djuk pkfg,A ;g lxBukRed igy ykdMkmu çfrcU/kk vkj Hkkfrd xfrghurk d lkFk 'k: gkrh gA

ge ,lh fLFkfr e lkefgdrk dh txg yu oky 0;fDrokn d udlku d çfr Hkh lrd jguk pkfg,A lkekftd uVofdx ey :i l 0;fä;k d chp vkj mUgh d fy, fodflr dh tkrh gA ge viu Lo; d lkefgd dk; d fy, vkbZVh vkj byDV,fud ç.kkyh lh[kuk vkj vH;kl djuk gkxkA ¼02@08@2020½

23 जुलाई 2020

मजदूरों–किसानों–खेत मजदूरों का देशव्यापी भारी विरोध

कुछ राज्यों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, जो इस संख्या में जुड़ जायेगी, 31 जुलाई 2020 तक उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार 2,00,000 से अधिक मजदूरों – किसानों – खेत मजदूरों ने विरोध प्रदर्शनों में शिरकत की। यह कार्रवाही 23 जुलाई 2020 को 200 जिलों में ब्लॉक सहित 2,000 से अधिक केन्द्रों पर हुई। जिसका आह्वान सेन्टर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू), ऑल इण्डिया किसान सभी (एआईकेएस) और ऑल इण्डिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन (एआईएडब्ल्यूयू) के संयुक्त रुप से निम्नलिखित माँगों को उठाते हुए किया था।

- सभी के लिए निःशुल्क सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा;
- सभी को 10 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह 6 महीने तक के लिए;
- आयकर के दायरे से बाहर सभी परिवारों को रु० 7,500 प्रति माह;
- मनरेगा के तहत, 600 रुपये प्रति दिन मजदूरी के साथ 200 दिन का काम या बेरोजगारी भत्ता; शहरी रोजगार गारंटी योजना का व्यवस्थापन और कार्यान्वयन;
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, कृषि व्यापार, विद्युत अधिनियम और श्रम कानूनों में संशोधन के अध्यादेश/कार्यकारी आदेश को रद्द करना;
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सेवाओं का निजीकरण नहीं।

सरकार के खिलाफ जनता में गंभीर असंतोष, प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर मजदूरों–किसानों की भागीदारी में दिखाई दे रहा था। कई स्थानों पर युवाओं, महिलाओं और अन्य तबकों के संगठन भी विरोध में शामिल हुए।

असम में बारिश और विनाशकारी बाढ़ के बावजूद, बाढ़ राहत की माँग के साथ कई स्थानों पर विरोध कार्रवाही को आयोजित किया गया था। त्रिपुरा की राज्य की राजधानी अगरतला में सीटू, एआईकेएस, एआईएडब्ल्यूयू, एडवा और जीएमपी (आदिवासियों के जन मुक्ति परिषद) के राज्य नेताओं के साथ 120 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया। राज्य में गंभीर दमन है। हरियाणा में, स्थानीय त्योहार के कारण, 24 जुलाई को विरोध प्रदर्शन किया गया था।

कई राज्यों में कार्यक्रम में नौकरी की माँग को लेकर प्रवासी मजदूरों की भारी भागीदारी थी, और कोविद ड्यूटी पर स्कीम वर्करों के लिए सुरक्षा गियर और समय पर वेतन भुगतान की माँग थी। मध्य प्रदेश में आशा वर्कर्स एक दिन की हड़ताल पर चले गए।

कामकाजी जनता के बीच अपने व्यापक अभियान और मूल रूप से 23 जुलाई के विरोध कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं को एक संयुक्त बधाई संदेश में; सीटू, एआईकेएस और एआईएडब्लूयू ने मजदूरों, किसानों और जनता से आह्वान किया कि वे जन–विरोधी, किसान–विरोधी, मजदूर–विरोधी नवउदारवादी नीति के खिलाफ एकजुट होकर देशव्यापी जेल भरो/सत्याग्रह आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हों। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ–साथ किसान संगठनों के संयुक्त प्लेटफार्मों द्वारा 9 अगस्त 2020 को 'भारत छोड़ो दिवस' पर ''भारत बचाओ'' – ''जनता बचाओ'' का आह्वान किया गया।

बीएसएनएल कर्मचारी आन्दोलन

बीएसएनएल कर्मचारी यूनियन ने 21 जून को दोपहर में भोजनावकाश के दौरान देशव्यापी दर्शन का आयोजन किया और 26 जून को बीएसएनएल के पुनरुद्धार, इसकी 4 जी सेवा शुरू करने और कर्मचारियों के अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर, देश भर में बीएसएनएल कार्यालयों के समक्ष धरना दिया।

चुनौतियों का सामना करने बाहर आया मजदूर वर्ग

हेमलता

- *संधर्ष को तेज करने के लिए मजदूरों से घरों से बाहर आने को कहा गया।*
- *वे न केवल बाहर आये बल्कि उन्होंने सड़कों पर मार्च किया*

आह्वान

केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों तथा स्वतंत्र औद्योगिक फेडरेशनों के संयुक्त मंत्र ने 3 जुलाई को अखिल भारतीय विरोध दिवस का आहवान किया था। यह कार्रवाई 22 मई, 2020 को कड़े लॉकडाऊन के रहते सारे देश में हुए संयुक्त विरोध कार्यक्रम के अगले कदम के रूप में हुई थी। उस दिन मजदूरों ने सीमित संख्या में काम शुरू करने वाले कारखानों व प्रतिष्ठानों के परिसरों के अंदर रह कर नारेबाजी की थी।

तब से, अपने नवउदारवादी ऐजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लॉकडाऊन का इस्तेमाल करने की मोदीनीत भाजपा सरकार की कुत्सित मंशा बिल्कुल साफ हो गयी थी। सरकार ने समूचे देश को उसकी सारी धन संपदा–सार्वजनिक क्षेत्र, हमारे प्राकृतिक संसाधनों व मानव संसाधनों के साथ बड़े कारपोरेटों व व्यापारों के मुनाफों की भूख को सतुष्ट करने के लिए उनके पैरों में रख दिया। देश की जनता, देशी–विदेशी बहुराष्ट्रीय निगमों के पास देश को इस तरह गिरवी रखने के कदम पर चुप नहीं रह सकती। ऐसे में मजदूर वर्ग ने संधर्ष को तेज करने का फैसला किया। संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच ने 3 जुलाई के विरोध दिवस व उसके बाद असहयोग तथा वर्तमान नवउदारवादी नीति–निजाम के प्रतिरोध व अवहेलना का आहवान किया।

सीटू ने, विभिन्न सरकारों द्वारा लॉकडाऊन प्रोटोकोल्स का पालन करते हुए भाजपा सरकार की जन–विरोधी व राष्ट्र विरोधी नीतियों की अवहेलना व उनके प्रतिरोध के लिए संघर्ष को तेज करने हेतु मजदूर वर्ग का घरों से बाहर आने का आहवान किया।

आह्वान का प्रत्युत्तर

कोयला मजदूरों की हड़ताल व उसका प्रभावः इस आहवान को मजदूरों का प्रत्युत्तर शानदार था। कमर्शियल माइनिंग व निजीकरण के खिलाफ, अखिल भारतीय विरोध दिवस से एक दिन पूर्व 2 जुलाई से शुरू होकर 4 जुलाई तक चली कोयला मजदूरों की तीन दिवसीय संयुक्त हड़ताल ने देश के समूचे मजदूर वर्ग को प्रेरित किया। ऐसी संयुक्त हड़ताल कोयला मजदूरों के आंदोलन के इतिहास में अभूतपूर्व थी। कोयले का उत्पादन और उसकी ढुलाई पूरी तरह से ठप्प हो गयी। कुछ सप्ताह पूर्व तक कोयला खदानों में हड़ताल को संभव नहीं माना जा रहा था। लेकिन भाजपा सरकार द्वारा बोली प्रक्रिया को शुरू करने में दिखायी गई आक्रामकता ने, जिसका उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री ने किया था, कोयला मजदूरों को गुस्से से भर दिया। कोयला मजदूरों जो नारा बनाया और लोकप्रिय किया वह था– कोई नेतृत्व करे न करे, कोयला मजदूर हड़ताल पर जायेंगें। खदानों में 'पिट' स्तर पर ये मजदूर ही थे जिन्होंने प्रचार अभियान चलाया और हड़ताल संगठित की, क्योंकि राष्ट्रीय या राज्य स्तर के नेता कोयला खदानों में नही पहुँच सकते थे हालांकि सभी यूनियनों के नेता सक्रिय रूप से नजर रखने के साथ ही हड़ताल

का दिशा निर्देशन कर रहे थे। हड़ताल का नेतृत्व कोल क्षेत्र की सभी यूनियनों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

3 जुलाई का विरोध प्रदर्शनः कोयले की हड़ताल ने देश भर में सभी तबकों के मजदूरों के बीच विश्वास व उत्साह पैदा किया और उन्हें तीन जुलाई की कार्रवाई में उतारने का काम किया। देशभर में कोई 10 लाख मजदूरों व कर्मचारियों ने विरोध कार्रवाईयों में भाग लिया। पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, पंजाब आदि कई राज्यों में मजदूर सड़कों पर उतरे। पुलिस ने आंध्रप्रदेश के विजयवाड़ा, पश्चिम बंगाल में कोलकत्ता व कुछ अन्य स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया।

3 जुलाई के विरोध दिवस का एक महत्वपूर्ण पहलू था संगठित क्षेत्र के मजदूरों की भारी भागेदारी। इसके पहले की विरोध कार्रवाईयों में परियोजना मजदूर तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूर जैसे आंगनवाड़ी कर्मी आशा, निर्माण मजदूर, मनरेगा मजदूर की मुख्य भागेदारी थी। इस बार भी जहाँ इन तबकों की भागेदारी हुई परन्तु 10 जुलाई को आंगनवाड़ी वर्करो व हैल्परों की आल इंडिया फेडरेशन के माँग दिवस तथा हाल ही में आशा व मिड–डे–मील मजदूरों के विरोध दिवस के चलते इस कार्रवाई में अपेक्षाकृत उनकी उपस्थित कम थी।

3 जुलाई की विरोध कार्रवाईयों में कार्य स्थल–फैक्टरियों दफ्तर, खदानें आदि वे मुख्य केन्द्र थे जहाँ प्रदर्शन हुए; न की घर और पड़ौस/औद्योगिक मजदूरों के अतिरिक्त, मजदूरों के नये तबके जैसे पंजाब में टोल प्लाजा के वर्कर बोझा ढोने वाले, चावल मिल वर्कर्स आदि ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बीमा, बैंक, बी एस एन एल, प्रतिरक्षा आदि क्षेत्रों के मजदूर भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इससे, वेतन भुगतान न किये जाने, वेतन कटौतियों, छंटनी, श्रम शक्ति में कमी, वर्क लोड बढ़ाये जाने, काम के घंटों में वृद्धि आदि को लेकर मजदूरों व कर्मचारियों में बढ़ते गुस्से का पता चलता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि जैसे राज्यों में कई सारे फैक्ट्रियों व प्रतिष्ठानों में, विशेषकर निजी संगठित क्षेत्र में मजदूर वेतन न दिये जाने, वेतन कटौती, छंटनी आदि के विरोध में हड़ताल करते रहे हैं; कई मामलों में उन्हें सफलता भी मिली। कॉगनिजेंट जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों समेत आई टी कर्मचारी भी इन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और यूनियन हस्तक्षेप चाहते है।

इसका एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू विरोध कार्रवाईयों में रेलवे कर्मचारियों की भागेदारी का है। रेलवे कर्मचारियों के दो प्रमुख मान्यता प्राप्त संगठनों ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन (ए आइ आर एफ) तथा नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे मेन्स (एन एफ आई आर) द्वारा मोदीनीत भाजपा सरकार जिसने हाल ही में 109 जोड़ी ट्रेनों के निजीकरण, रेलवे प्रोडक्शन यूनिटों के निगमीकरण तथा भारतीय रेल को बड़े देशी–विदेशी कारपोरेटों को बेचने की घोषणा की है, पर चुप्पी साधे रखना सबको स्पष्ट दिखायी पड़ा है। लेकिन ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टॉफ एसोसिएशन (ए आइ एल आर एस ए) तथा ए आइ आर एफ से संबद्ध ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन, सीटू से सम्बद्ध दक्षिण रेलवे एम्पलाइज यूनियन, इंडिया रेलवे एम्पलाइज फेडरेशन आदि जैसी यूनियनों ने रेलवे के निजीकरण का विरोध और अपनी अन्य मांगो को लेकर ऑल इंडिया विरोध दिवस में भाग लिया। लोको रनिंग स्टॉफ ने बड़ी संख्या में इन प्रदर्शनों में हिस्सा लिया जो लगभग देश भर में हुए।

संदेश

इन विशाल कार्यवाईयों के माध्यम से,मजदूर वर्ग ने एकदम स्पष्ट रुप से देश को बेचने, सभी श्रम कानूनों को बेअसर कर देने तथा कारपोरेट किसानी के लिए किसानों द्वारा की जाने वाली खेती का सफाया करने के लिए लॉकडाउन का फायदा उठाने के हथकंडे के विरोध में अपना गुस्सा प्रकट किया है। यह शर्म की बात है कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार जो छद्म राष्ट्रवादी नारों के धोखें मे वास्तव में कोयले, प्रतिरक्षा, रेलवे, बैंक आदि का निजीकरण कर राष्ट्रीय हितों को गिरवी रख रही है। यह और भी शर्मनाक है कि इस विनाशकारी एंजेंडे को लागू करने के लिए लॉकडाउन के समय का इस्तेमाल किया जा रहा है।

मजदूर वर्ग ने एक कड़ा संदेश दिया है कि, इस देश की धन–सम्पदा पैदा करने वाला मजदूर वर्ग, अपने ऊपर गुलामी थोपे जाने की स्थिति पैदा करने वाली स्थितियों को चुपचाप सहन नहीं करने वाला है। यदि भाजपा सरकार इन विनाशकारी नीतियों को लागू करने पर अड़ी रहती है तो आने वाले दिनों में असहयोग, प्रतिरोध व अवहेलना की ओर जाने वाले संयुक्त संघर्ष को तेज करने की यह एक चेतावनी है।

आगामी आंदोलन–

सीटू सचिव मंडल की 6 जुलाई 2020 को हुई ऑनलाइन बैठक मे 3 जुलाई 2020 के विरोध दिवस की संक्षिप्त समीक्षा करते हुए मजदूर वर्ग के शानदार प्रत्यत्तर पर संतोष व्याक्त किया गया। बैठक मे तुरन्त प्रभाव से 8 जुलाई 2020 की संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच की बैठक मे असहयोग, प्रतिरोध व अवेहलना, के आहवान के हिस्से के रुप में तय होने वाले एक्शन कार्यक्रम के लिए अभियान शुरु करने का फैसला किया गया।

इसके अतिरिक्त सीटू सचिवमंडल ने रेलवे के निजीकरण के खिलाफ 16/17 जुलाई 2020 को रेलवे स्टेशनों व रेलवे मुख्यालयों पर प्रदर्शन आयोजित करने का भी फैसला लिया। इस कदम के खिलाफ जनता के अन्य तबकों के समर्थन को जुटाने का भी फैसला किया गया क्योंकि इस रेलवे के निजीकरण से रेलवे कर्मियों के साथ दिहाड़ी मजदूरों, वेंडरों, कर्मचारियों, छात्रों आदि के जैसे मेहनतकश जनता के तबके भी बुरी तरह प्रभावित होंगे।

संचिवमंडल ने सीटू की सभी कमेटिंयों व कैडरों का आह्वान किया है कि वे किसान सभा व खेत मजदूर संगठन के साथ मिलकर 23 जुलाई 2020 को अगले 6 महीने तक प्रत्येक को प्रतिमाह 10 किलो खाद्यान्न, सभी टैक्स के दायरे से बाहर के प्रत्येक परिवार को हर महीने 7500 रु0 नगद हस्तांतरण तथा काम विशेषकर प्रत्येक काम माँगने वाले को प्रवासी मजदूरों को मनरेगा का कार्य, क्षेत्र मे 600 रुपये दिहाड़ी की दर से तथा शहरी क्षेत्रों में रोज़गार गारण्टी योजना के विस्तार की मांग को लेकर ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शनों व नांकेबंदियों का आहवान किया।

कोविड–19 से निपटने में असफल, मगर नीतियों को थोपने में आक्रामक भाजपा सरकार की कोविड–19 से निपटने में असफलता के कारण बीमारी रोकने में सफलता नहीं मिली है। केरल जैसे राज्य में जहाँ एल डी एक सरकार के प्रयत्नों से बीमारी को फैलने से रोकने की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई, फिर भी तिरुवंनपुरम व कुछ अन्य स्थानों पर फिर से ट्रिपल लॉकडाउन करना पड़ा है। बड़ी संख्या में अन्य देशों व राज्यों से आने वालों को संक्रमित पाया गया है। कुछ अन्य राज्यों में कड़े लॉकडाउन नियम लागू किये जा रहे है। बीमारी की स्थिति व लॉकडाउन, के चलते मजदूरों के बीच संकट, बेरोज़गारी, आमदनी का खत्म हो जाना आदि पूरे देश में एक समान नहीं हैं यह राज्य–राज्य में अलग है और एक ही राज्य में भी अन्तर है। लेकिन भाजपा सरकार जनता व देश पर अपनी नीतियों के विनाशकारी असर के बारे में सोचने के लिए क्षण भर रुकने को तैयार नहीं है। वह लॉकडाउन को एक अवसर के रुप में ले रही है जिसे छोड़ना नही है, जिसमें तेजी से इन नीतियों को थोप देना है। मजदूर वर्ग व देश का मेहनतकश अवाम इसकी इजाजत नहीं दे सकतां उन्हें एक जुट होना होगा और इन नीतियों का विरोध करने के लिए, सरकार को चेतावनी देने के लिए, हर संभावना का पूरा प्रयोग करने के लिए तैयार रहना है।

संयुक्त कार्रवाईयों का समय

मजदूर वर्ग के संयुक्त संघर्ष मजदूरों किसानों खेत–मजदूरों के संयुक्त संघर्ष जनता के तमाम मेहनतकश व प्रगतिशील तबकों के संयुक्त संघर्ष इन नीतियों को परास्त किये जाने तक अगर वैकल्पिक नीतियों का मार्ग प्रशस्त होने तक संघर्षों को नई ऊंचाई देते जाना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।

ऐसे संयुक्त संघर्षों की योजना तैयार करने एवं उन्हें शुरु करने का यही वक्त है।

मोदी सरकार द्वारा शोषण को खोलने और जनवादी हकों को रोकने को आईफा के ललकार दिवस की चुनौती

ए.आर. सिंधु

कोविड–19 महामारी और लॉकडाउन के चलते बढ़ती भुखमरी और कुपोषण के दोहरे खतरे के, खिलाफ लड़ाई में दिखाई पड़ने वाला फ्रंटलाइन वर्करों का महत्वपूर्ण तबका है–वे तमाम महिलायें जिन्हें न तो मजदूर की मान्यता प्राप्त है और ना ही उनके साथ सही बर्ताव किया जाता है।

भारत में आंगनवाड़ी, आशा व मिड–डे मील की योजनाओं की वर्कर तब अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं, मर रही हैं जब भारत का मध्य वर्ग 'वर्क फ्रॉम होम', ऑनलाइन मीटिंग्स, क्लीन एअर, क्लीन रिवर्स यानी साफ हवा व साफ नदियों का मजा ले रहा हैः तथा भारत का शासक वर्ग सरकारें गिराने और देश की सम्पदा व संप्रभुता को बेचने में व्यस्त है। उस दिन जब कारपोरेट मीडिया, इन वर्करों के लिए दिये जलवाने व ताली, थाली बजाने वाले महान प्रधानमंत्री और हमारे देश में पैदा की गई धन–सम्पदा को निवेश के नाम पर खरीदने वाले कारपोरेट के सी ई ओ के बीच संवाद का उत्सव मना रहा था; कि कैसे महानायक संक्रमित होने के बाद सोया, नाश्ता लिया आदि दिखा रहा था, तक उत्तर प्रदेश में एक आंगनवाडी वर्कर ने जिसे पिछले एक वर्ष से वेतन नही मिला था आत्महत्या करने की कोशिश के बाद अस्पताल में दाखिल किया गया था, ओडिशा के सनाखेमुंडी ब्लॉक की आंगनवाडी वर्कर जो कोविड–ड्यूटी में लगी थी, का शव कई घंटो तक कूड़ा डालने वाली जगह पर पड़ा रहा और उसकी बेटी असहाय माँ के शव के साथ बैठी रही।

इसी समय हजारों आंगनवाड़ी कर्मी व सहायक लाल पोशक पहने व लाल मास्क लगाये सड़कों पर उतर माँग कर रही थी कि उन्हें सुरक्षा व वेतन का हक मिले और देश में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे को जीने का हक मिले।

परियोजना वर्कर्स–

10 लाख आंगनवाडी वर्कर्स घर–घर जा कर सर्वे कर रही है, क्वारंटीन केन्द्रों में लोगों को शिक्षित कर रही हैं उनकी देखभाल कर रही हैं, 26 लाख आंगनवाडी कर्मचारी आशा वर्करों के साथ लाभान्वितों को घर–घर जाकर राशन वितरण करने के साथ ऐसा ही कार्य कर रही है; 27 लाख मिड–डे मील कर्मी घर–घर जाकर स्कूली बच्चों को राशन की आपूर्ति कर रही हैं; कम्युनिटी केंद्रो व क्वारंटीन केंद्रों मे ड्यूटी कर रही हैं, अन्य वर्कर–108 एम्बुलेंस वर्करों सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वर्कर जमीनी स्तर पर समुदाय के बीच अपनी व परिवार की जान जोखिम में डाल कार्य कर रही हैं। इनमें से अधिकतर को किसी प्रकार के सुरक्षा उपकरण यहाँ तक कि सेनेटाइजर व मास्क भी उपलब्ध नहीं कराये गये है। इनमें से कईयों को कोरोना का वाहक बता कर उन पर हमले किये गये है। उनके कोरोना से सक्रंमित हो जाने के ढ़ेरों मामले है जिसके बाद उन्हें उचित इलाज व देखभाल नहीं मिली और वे कोरोना से मर रही हैं। कितने ही मामलों में तो उन्हें सरकार द्वारा इतना शोर–शराबा कर घोषित की गई बीमा राशि तक नही मिल पा रही। बीमा न होने की स्थिति में कोरोना से पीड़ित होने पर अस्पताल व क्वारंटीन होने का सारा खर्च उन्हें स्वयं ही उठाना पड़ रहा है। अपनी जान जोखिम में डालने के लिए उन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता प्राप्त नही है। उन्हें वेतन तक समय पर नही मिलता, घर किराये व अन्य भत्तों की बात तो छोड़ ही दे।

बढ़ता कुपोषण बिगड़ता स्वास्थ्य तथा आइ.सी.डी.एस. पर हमला

लॉकडाउन और महामारी के विरुद्व लड़ाई के लगभग 4 महीने हो चुके हैं मगर देश में संक्रमण और मृत्यु के मामले चिंताजनक ढंग से बढ़ रहे हैं। इससे भी ज्यादा चिंताजनक यह है कि सरकार ने इस दौरान स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे या सुविधाओं में कोई सुधार नहीं किया है जिसके लिए उसने लॉकडाउन घोषित किया था। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए केवल 15,000 करोड़ का आंवटन किया गया जबकि इसी दौरान सरकार ने नीरव मोदी व विजय माल्या समेत 50 लोगों पर 68,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया। स्वास्थ्य का समूचा बजट केवल 69000 करोड़ रुपये है और 8 करोड़ बच्चों 2 करोड़ माँओं, तथा 26 लाख आंगनवाडी वर्करों व हैल्परों के लिए आइ सी डी एस का कुल बजट केवल 15 से 18 हजार करोड़ रुपये का है। जहाँ इस दौरान 40 करोड़ भारतीय पहले से भी गरीब हो गये है मुकेश अंबानी ने अपनी संपत्ति को लगभग दोगुना कर लिया है और वह दुनिया के अमीरों की सूची में छठे स्थान पर पहुँच गया है।

अब यूनीसेफ की एक रिर्पोट आई है कि चूंकि स्कूल व आंगनवाडी बंद हैं और बच्चों को दोपहर का भोजन भी नहीं परोसा जा रहा है जिस कारण आने वाले दिनों में कुपोषण कई गुना बढ़ जायेगा। रिर्पोट में अनुमान लगाया गया है कि अगले 6 महीनों में 5 वर्ष से कम उम्र के और तीन लाख बच्चे देश में गरीबी व कुपोषण के कारण मर जायेंगे। लॉकडाउन होने के बाद से आइ सी डी एस ताजा गरम पका खाना नहीं दे रहा है। सूखे राशन की प्रति बच्चे को दी जाने वाली मात्रा इतनी कम है कि उससे बच्चे को प्रतिदिन के हिसाब से जरुरी पोषण नहीं मिल सकता है। लॉकडाउन की शुरुआत से ही ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाडी वर्कर्स एंड हैल्पर्स (सीटू) माँग कर रही है कि राशन की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार किया जाये। लेकिन सरकार न तो आइ सी डी एस का आंवटन बढ़ाने के लिए तैयार है और न ही बुनियादी सुविधाओं को। इसके उलट, लॉकडाउन का फायदा उठाकर वह नगद हस्तांतरण को बढ़ावा दे रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारें खाद्यान्न के स्थान पर कैश ट्रांसफर का प्रयास कर रही है। मोदी सरकार आइ सी डी एस में पहले ही सीधे नगद हस्तांरण (डी बी टी) का प्रस्ताव कर चुकी है और यूपी व राजस्थान में इसके पायलट प्रोजेक्ट शुरु किये गये हैं। यहाँ तक कि राशन जो हर एक बच्चे व माँ का हक है, वह भी उचित रुप से प्रदान नहीं किया जा रहा है।

प्रतिरोध का निर्माण

हाल ही में मीडिया में सहानुभूति व धर्माथ कार्य के लिए गरीब महिलाओं व गरीब प्रवासी मजदूरों से संबधित कहानियां सामने आयी। इन कहानियों में जो नहीं है वह यह कि इनमें इन मजदूरों के हकों की बात कंही नहीं है। परियोजना वर्करों व संबधित मुद्दों के बारे मे मत्वपूर्ण सवाल, पोषण, स्वास्थ्य व शिक्षा के बारे में इन मजदूरों के अधिकार का है। इन रिपोर्ट में सामूहिक सौदेबाजी और हड़ताल के मजदूरों के अधिकारों की बात पूरी तरह से गायब है परियोजना कर्मी कोविड से लड़ने के साथ ही कुपोषण, भयानक गरीबी व भुखमरी से लड़ रहे हैं। लॉकडाउन के दिनों में, वे ड्यूटी के साथ ही जरुरत मन्दो के बीच भोजन, सेनिटाइजर मास्क इत्यादि बांटने का महत्वपूर्ण कार्य भी कर रही हैं और अपने हकों की लड़ाई के लिए भी अगली कतार में है।

21 अप्रैल, 2020 को 'भाषण नहीं राशन चाहिये' के नारे के साथ शुरू किये आंदोलन के साथ ही कोविड 19 के फ्रंटलाइन वर्करों की सुरक्षा के मुद्दों को लेकर 14 मई के 'फूल नहीं सुरक्षा चाहिये' के जनता का भारी समर्थन

पाने वाले आन्दोलन–समेत सीटू इस दौर में अच्छी भागीदारी व नवाचारी संघर्षों को संगठित करने में अगली कतार में रहा।

कई सारे राज्यों में आशा व आंगनवाड़ी वर्करों की हड़तालें व जुझारू संघर्ष हुए जिनमें अतिरिक्त पारिश्रमिक व अस्पताल में भर्ती जैसी उनकी कुछ मांगों को मानने के लिए प्रशासन को विवश किया गया। 25 जून, 2020 को सारे देश में आशा वर्करों ने, सीटू की ऑल इंडिया कोर्डिनेशन कमेटी ऑफ आशा वर्कर्स के आह्वान पर देशभर में जुझारू प्रदर्शन करते हुए माँग दिवस मनाया। 26 जून, 2020 को सीटू की मिड–डे–मील वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में मिड–डे–मील वर्करों ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। सबसे गरीब व सामाजिक रूप से हाशिये पर पड़े मिड–डे–मील वर्कर्स को मात्र एक हजार रूपये महीने का वेतन सरकार ने यह कहते हुए दो महीने से नहीं दिया है कि गर्मी में दो महीने की छुट्टियों में वे वेतन के हकदार नहीं हैं।

ललकार दिवस– भारी समर्थन

इस पृष्ठभूमि में आईफा ने प्रतिवर्ष सबसे प्रासंगिक मुद्दों को उठाते हुए मनाये जाने वाले माँग दिवस को ललकार दिवस के रूप में मनाने का फैसला कर सरकार को चुनौती दी जिसने शोषण के दरवाज़े तो खोल दिये परन्तु लोकतंत्र की तालाबंदी कर दी। आईफा ने ललकार दिवस में 'तीन लाख बच्चों को मरने मत दो' के नारे के साथ आई सी डी एस की मजबूती की माँग उठाई। संघर्ष की अगली कतार में रहकर आईफा ने प्रोजेक्ट स्तर पर लाल पोशाक व लाल मास्क में जुझारू कार्रवाईयां करने का निर्णय किया।

इसी तरह ललकार दिवस मनाने के लिए कोई 2 लाख आगंनवाडी वर्करों, जिनमें से ज्यादातर ने लाल पोशाक व लाल मास्क लगा रखे थे, 10 जुलाई 2020 को 22 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जे एंड के, झारखंड, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, पॉडिचेरी, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल के 23,000 केन्दों पर प्रदर्शन किये व स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री और महिला व बाल कल्याण मंत्री को ज्ञापन दिये तथा कोविड–19 ड्यूटी के लिए सुरक्षा उपकरणों, बीमा, जोखिम भत्ते, मजदूर के रुप में मान्यता, न्यूनतम वेतन, पेंशन व सामाजिक सुरक्षा तथा सबसे महत्वपूर्ण आई सी डी एस के लिए विशेषकर पोषण के लिए आंवटन को बढ़ाने की मांग की। कर्नाटक में तीन दिवसीय विरोध की शुरुआत 13 जुलाई को हुई। आईफा ने इस कार्यक्रम की शानदार सफलता के लिए सभी राज्य इकाईयों व सभी आंगनवाडी वर्करों एंव हैल्परों को बधाई दी।

इस विरोध कार्यक्रम की एकजुटता में, नई दिल्ली स्थित सीटू केन्द्र में सीटू के राष्ट्रीय नेतागण अध्यक्ष हेमलता, महासचिव तपन सेन, एम एल मलकोटिया, एस देवरॉय, जे एस मजुमदार आईफा की महासचिव ए आर सिंधु व कोषाध्यक्ष अंजू मैनी के साथ ललकार दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। आईफा की पहल पर, सभी केन्दीय ट्रेड यूनियनों के परियोजना वर्करों के संयुक्त मंच ने प्रतिकार के संघर्ष को तेज करने के लिए 12 सूत्री माँगों को लेकर अगस्त के शुरु में तीन दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का निर्णय किया है। इन मांगो में आई सी डी एस के लिए आंवटन को फौरन दोगुना करने, लाभान्वितों को दिये जाने वाले पोषण की मात्रा व गुणवत्ता को बढ़ाने, आंगनवाडी वर्करों एंव हैल्परों को 'मजदूर' के रुप में मान्यता, वर्करों को 30,000 रुपये महीना व हैल्परों को 21,000 रुपये न्यूनतम वेतन, मिनी वर्कर्स को समान वेतन, 45वें व 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुरुप पेंशन, ई एस आई, पी एफ आदि प्रदान किये जाने, सभी आंगनवाडी वर्करों व हैल्परों को विशेषकर हैल्थ सैक्टर में काम

करने वाले वर्करों व हैल्परों को सुरक्षा उपकरण प्रदान करने, कंटेनमैंट जोन्स व रेड जोन्स में काम करने वाले वर्करों व हैल्परों को पी पी ई प्रदान किये जाने, सभी फ्रंट लाइन वर्करों को जल्दी–जल्दी रेंडम व मुक्त कोविड जाँच की सुविधा, ड्यूटी के दौरान हुई सभी मौतों को शामिल करते हुए सभी फ्रंटलाइन वर्करों को 50 लाख का बीमा कवर, कोविड ग्रस्त होने पर उनके समूचे परिवार के लिए कोरोना उपचार, तथा आवश्यक बजट आंवटन के साथ ही आई सी डी एस को स्थायी करने की मांगे शामिल थी। इसके साथ ही इसमें किसी भी रुप में योजना का निजीकरण न करने, आई सी डी एस में नकदी हस्तांतरण न करने, सभी मिनी केन्द्रों को पूर्ण केन्द्रों में बदलने, कोविड ड्यूटी में लगी सभी आंगनवाडी वर्करों व हैल्परों को प्रतिमाह 25,000 रुपये के अतिरिक्त जोखिम भत्ता, बकायों का तुरन्त भुगतान, ड्यूटी के दौरान संक्रमित हो जाने वालों को 10 लाख का मुआवजा, आंगनवाड़ियों में ई सी सी ई की मजबूती; सभी के लिए भोजन,स्वास्थ्य, शिक्षा, आय, रोज़गार, बसेरा आदि सुनिश्चित करने, काम के घंटो को 8 से बढ़ाकर 12 न करने, श्रम कानून को फ्रीज न करने, पी एस ई व सेवाओं का निजीकरण न किये जाने, कृषि व्यापार एंव ई सी ए पर लाये गये अध्यादेशों को तुरन्त वापिस लेने की माँगे भी शामिल थी।

यूरिया सैक्टर एवं तथाकथित 'आत्मनिर्भर' भारत

निशीथ चौधरी

'2023 तक पाँच नये संयन्त्र, यूरिया में आत्मनिर्भर भारत के लिए पहली पहल हो सकती है' नामक शीर्षक से एक लेख इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली में 13 जुलाई को छपा था। लेखक ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए नरेन्द्र मोदी कैसे प्रयास कर रहे है लेकिन लेखक यह भूल गया कि मोदी एंड कम्पनी ने ऐसी घोषणा कुछ ही दिन पहले की जबकि देश को यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की पहल तब हो गई थी जब मोदी जी की पार्टी भी सामने नहीं आयी थी। उनकी पार्टी ने तो 2002–03 के दौरान यूरिया का उत्पादन करने वाली कई सार्वजनिक क्षेत्र इकाईयों को बंद कर दिया था और देश को आयात पर निर्भर बना दिया था। इस पर हम बाद में लौटेंगे।

'आत्मनिर्भर भारत' की घोषणा–

12 मई 2020 को कोविड–19 महामारी से पैदा स्थिति का सामना करने के लिए 20 लाख करोड़ के वित्तीय पैकेज का एलान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने की जरुरत की घोषणा की थी। यह और कुछ नहीं वरन एक और जुमला था जो आत्मनिर्भरता के वास्तविक अर्थ के आस–पास भी नहीं था और वास्तव में यह अपने आप को धोखे में रखने जैसा था। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, बन भूमि, खदानों, रक्षा उत्पादन व अन्य सभी राष्ट्रीय संपदाओं को बेचने वाला आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है। इस घोषणा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पाँच प्रेस कांफ्रेसों के माध्यम से आर्थिक पैकेज के अन्तर्गत उपायों का विस्तार से जिक्र किया लेकिन वास्तव में इसमें कोविड की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले गरीबों, मजदूरों व प्रवासियों के लिए कुछ भी नहीं था। यह पैकेज कारपोरेट व बड़े व्यापारियों के लिए सौगात था। पाँचवी व अंतिम प्रेस कांफ्रेस में 17 मई को एक नई पी एस ई नीति घोषित की गई जिसमें कुछ रणनीतिक क्षेत्रो में संचालित उपक्रमों को छोड़कर, जिनके बारे में सरकार आगे निर्णय करेगी, पी एस ई के निजीकरण की घोषणा की गई। रणनीतिक क्षेत्रों के बारे में भी वित्तमंत्री ने घोषणा की कि कम से कम एक सार्वजानिक उपक्रम रहेगा लेकिन निजी क्षेत्र को भी मंजूरी दी जायेगी। उन्होने यह भी घोषित किया कि फालतू प्रशासनिक खर्चो को कम करने के लिए रणनीतिक क्षेत्रों मे भी प्रतिष्ठानों की संख्या को एक से चार तक रखा जायेगा और शेष का निजीकरण/विलय/होल्डिंग कम्पनियों के

अन्तर्गत ले आया जायेगा। दूसरे शब्दों में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण निजी पूंजी से होना हैं। क्या हम मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं? जरुर मोदी एंड कंपनी के सपनों को पूरा करने के लिए निजी पूँजी के बल पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर बढ़ना एक बोल्ड कदम हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को साबित करने के लिए अब यूरिया सैक्टर को घसीट कर बाहर लाया जा रहा है विशेषकर तब जब नीति की घोषणा 12 मई 2020 को ही हुई है तथा सी.पी.एस.यू. के कन्सोर्टियम के द्वारा बन्द पडी यूरिया उत्पादन इकाईयों को पुनर्जीवित करने के प्रयास पिछले कितने वर्षों से जारी हैं?

याद करें–

हम जरा याद करें कि देश में यूरिया सैक्टर के बारे में भाजपानीत एन.डी.ए. सरकार का रवैया कैसा रहा है। सितम्बर 2002 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एन डी ए की सरकार थी तब यूरीया के उत्पादन व बिक्री में लगी सार्वजानिक क्षेत्र इकाइयों को बंद करने का फैसला लिया गया था जिसके चलते 2 पी एस यू फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफ.सी.आई.एल.) के तहत आने वाले सिंदरी, गोरखपुर, रामगुंडम व तलचर तथा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (एच.एफ.सी.एल.).के तहत आने वाले दुर्गापुर, बरौनी व हल्दिया संयन्त्रों को बंद कर दिया गया था और 2003 के शुरु तक लगभग सभी कर्मचारियों को वी एस एस स्कीम के तहत मुक्त कर दिया गया था। इस फैसले के पीछे संपन्त्रों के पुराने पड़ जाने, यूरिया उत्पादन की लागत ज्यादा आने तथा 80 डॉलर प्रति टन के भाव से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की प्रचुर उपलब्धता को कारण बताया गया था।लेकिन जैसा कि जानकारों ने उस समय भी इंगित किया था, यह फैसला दूरगामी रुप से राष्ट्रीय हितों पर कुठाराघात साबित हुआ। पीछे देखने पर स्पष्ट होता है कि यह फैसला कितना अदूरदर्शी था। एक दशक बाद ही यह साबित हो गया। इन संयन्त्रों को बंद करने के हानिकारक परिणाम देश के सामने आने लगे। सही समय पर उर्वरको की उपलब्धता न होने से खाद्य सुरक्षा संकट में आ गई, यूरिया की सट्टाबाजारी, इसकी जमाखोरी व कालाबाजारी आदि होने लगी। आयात बढ़ने लगा और ऐसी सूरत में आयातित यूरिया के दाम असामान्य ढंग से चढने लगे। वर्ष 2010–11 में यूरिया का हमारा कुल आयात 8.73 मिलियन टन था। फर्टिलाइजर विभाग की 2010–11 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार यूरिया का इम्पोर्ट प्राइज 2007 में 280.75 अमेरिकी डॉलर प्रति टन से उछलकर जनवरी 2008 में 815 अमेरिकी डॉलर प्रति टन हो गया। यह चौंकाने वाला है कि 2019–20 में 11 मिलियन टन यूरिया का आयात हुआ।

इस बीच 2004 में एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर वामपंथ के समर्थन से यू पी ए– 1 सरकार सत्तारुढ़ हुई। डॉ० मनमोहन सिंह के नेतृत्व में इस सरकार के पहले नीतिगत निर्णयों में एक था 'सिद्धात रुप में' एफ.सी. आई.एल. व एच.एफ.सी.एल. के बंद कारखानों को पुनर्जीवित करना और यह वामपंथ के लगातार दबाव के कारण था। लेकिन, उसके बाद भी, लगभग 7 वर्षों तक, इम्पोर्ट लॉबी के लगातार विरोध के कारण जमीन पर कुछ भी खास नही हुआ।

लेकिन, बासुदेव आचार्य के नेतृत्व में संसद के दोनों सदनों में वामपंथ की उपस्थिति संसद में निरंतर हस्तक्षेपों के माध्यम से तथा प्रधानमंत्री के साथ फर्टिलाइजर सैक्टर के ट्रेड युनियन नेतृत्व के प्रतिवेदन के बाद 4 अगस्त 2011 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने एफ सी आई व एच एफ सी के बंद बड़े बड़े यूरिया कारखानों को विभिन्न तरहों से पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह फैसला किया गया कि ओडिशा के तलचर स्थित कारखाने को कोल इंडिया, राष्ट्रीय कैमिकल्स, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० एंड फर्टिलाइजर कारपोरेशन के एक कंर्सोटियम के द्वारा पुनर्जीवित किया जाएगा और कारखाना कोयला आधारित होगा। तेलंगाना स्थित रामगुंडम

संयन्त्र को इंजीनियर्स इंडिया, नेशनल फर्टिलाइजर्स व फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन के कंर्सोटियम के द्वारा पुनर्जीवित किया जाएगा तथा कारखाना गैस आधारित होगा। झारखंड स्थित कारखाने को भी राज्य स्वामित्व के कंर्सोटियम के द्वारा पुनर्जीवित किया जाना था हालांकि इसके भागीदारों के नाम तब स्पष्ट नहीं थे। केन्द्र सरकार ने यह भी कहा था कि बंद पड़े बाकी कारखानों को भी बोली के द्वारा तय होने वाले निजी निवेश के माध्यम से पुनर्जीवित किया जाएगा। तथापि, कई बार के प्रयासों के बावजूद कोई निजी उद्यमी आगे नही आया।

इस सैक्टर में मुनाफे की दर काफी कम है एक विशेष कीमत योजना के तहत केवल 12 प्रतिशत टैक्स रिटर्न की मंजूरी है। यूरिया अभी भी सरकार के नियंत्रण में है और इसका विक्रय मूल्य इसकी लागत से कंही कम है जिसकी भरपाई के लिए सरकारी सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी की खिलाफत करने वालों की ओर से सरकार पर भारी दबाव बनाए जाने के बावजूद कोई सरकार इस सैक्टर में सब्सिडी को रोकने और यूरिया के दाम बढ़ाने का साहस नहीं कर सकी है।

26 मई 2014 को मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार सत्तारुढ़ हुई। हालांकि ये सरकार कही ज्यादा कारपोरेट हितैषी थी परन्तु फिर भी बंद पड़े गोरखपुर, बरौनी, दुर्गापुर हल्दिया या कोरबा संयन्त्रों को लेने के लिए कोई आगे नहीं आया। मोदी सरकार तलचर रामगुंडम व सिंदरी के बंद पड़े कारखानों को केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के कंसोर्टियम के माध्यम से पुनर्जीवित करने के फैसले को उलट नहीं सकी परन्तु उस पर अमल करने की जल्दी में भी नहीं रही। बल्कि उसने तेजी के साथ शेष कारखानों को निजी हाथों में बेचने का प्रयास किया। निजी उद्यमियों से प्रत्युत्तर पाने में असफल मोदी सरकार आखिरकार 13 जुलाई 2016 को बाध्य हुई जिसमें फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, एन टी पी सी, इंडियन ऑयल कारपोरेशन, हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के साथ झारखंड के सिंदरी, बिहार के बरौनी तथा उत्तरप्रदेश के गोरखपुर स्थित संयन्त्रो को पुनर्जीवित किया जाना था। यह भी कहा गया कि शेष कारखानों को पुनर्जीवित करने को बाद में लिया जाएगा। बंद पड़े कारखानों को चालू करने के फैसले को अंतिम रुप देने की संक्षिप्त पृष्ठभूमि है। ऐसे में क्या कोई ऐसा दावा कर सकता है कि यह केवल मोदी सरकार की उपलब्धि है? बल्कि हुआ तो यह है कि मोदी सरकार द्वारा जानबूझकर बंद कारखानों को चालू करने में देरी करने के चलते ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि मोदी सरकार के पहले 5 वर्षों में यूरिया का आयात उंची अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर 11 मिलियन टन तक पहुंच गया जिसका मूल्य 2019–20 में 2.89 बिलियन डॉलर था। तथ्यों के आधार पर तो मोदी सरकार सीधे सीधे आपराधिक लापरवाही की दोषी है।

उर्वरक उद्योग व राष्ट्रीय गैस ग्रिड

आइये अब हम इस दलील पर गौर करें कि बंद पड़े संयन्त्रो में उत्पादन की लागत वहनीय नही थी। मान लें कि यूरिया उत्पादन की लागत का 70 प्रतिशत फीड स्टॉक की लागत है (बुनियादी कच्चा माल) इसमें इस्तेमाल में लाये जा रहे फीड स्टॉक कि प्रकषति उसकी लागत तय करती है। 1980 के दशक के मध्य तक अमोनिया के निर्माण ,और फिर यूरिया के उत्पादन के लिए नाफ्था और फ्यूल ऑयल एल एस एच एस का प्रयोग हो रहा था जो तेल शोधन कारखानों में कच्चे तेल के शोधन से प्राप्त होते है। केवल कुछ ही संयन्त्र असम व गुजरात के तेल क्षेत्रों से प्राप्त नेचुरल गैस से संचालित थे। बॉम्बे हाई में तेल व प्राकृतिक गैस के निकाले जाने तथा एच वी जे पाइपलाइन के बिछ जाने से 1980 के अंत में प्राइवेट व कोओपरेटिव सैक्टरों में बहुत सारे यूरिया संयन्त्रो की एक श्रृंखला सी स्थापित हुई। 2004 के 'सिद्धांतरूप' में बंद उर्वरक कारखानों को चालू करने के तय फैसले के कारण सरकार ने बी आई एफ आर सुनवाईयों के समय कारखानों को समाप्त करने का विरोध करते हुए उन्हें

पुनर्जीवित किये जाने की हिमायत की ताकि उपलब्ध नेचुरल गैस फीड स्टॉक के तौर पर प्रयोग आये। पेट्रोलियम व नेचुरल गैस मंत्रालय भी एच वी जे पाइपलाइन को यूपी, बिहार, झारखंड राज्यों से गुजार कर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक ले जाने की और इस तरह गैस की आपूर्ति की योजना के साथ आगे आया। तत्कालीन पेट्रोलियम व नेचुरल गैस राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने तपन सेन के अतारांकित प्रश्न संख्या 2084 के जवाब में 16 मार्च 2010 को इसकी पुष्टि की। मंत्री ने कहा था कि गेल को जुलाई 2007 में गैस पाइपलाइन बिछाने की जिम्मेदारी दी गई थी तथा 24 जुलाई 2009 को गेल बोर्ड ने परियोजना को मंजूरी दी। मंत्री ने यह भी बताया कि कृष्णा गोदावरी बेसिन के काकीनाड़ा से हावड़ा होकर बासुदेवपुर तक एक और पाइपलाइन बिछाने का काम रिलायंस गैस ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया गया है। यह सूचित किया गया था कि जगदीशपुर – हल्दिया गैस पाइपलाइन का काम 2011 में शुरु होकर 2013 में पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार काकीनाड़ा बासुदेवपुर हावड़ा परियोजना 2012 में पूरी हो जाएगी। इससे पहले 18 अगस्त 2006 को दो सांसदो सुनील खान व बासुदेव आचार्य (अतारांकित प्रश्न संख्या 2337) के जवाब में तत्कालीन मंत्री दिन्सा पटेल ने कहा था कि पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का लगातार दबाव बना रही है और नेचुरल गैस मिलने का भरोसा मिलते ही गेल जगदीशपुर – हल्दिया गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरु करेगी। यह समझने की आवश्यकता है कि ये पहलकदमियाँ बंद पड़े उर्वरक कारखानों को चालू करने के एकमात्र मकसद से की गई थी।

सही है कि हमारे देश के प्राकृतिक गैस भंडार उसकी कुल माँग से कहीं कम है और माँग व आपूर्ति के इस अंतर को पाटने के लिए तरल रुप में क्रायोजेनिक वेसलों में प्राकृतिक गैस का आयात एकमात्र उपाय था जिसके लिए रीगैसीफिकेशन की सुविधा के साथ कई लिक्विड नेचुरल गैस टर्मिनल समुद्री किनारों पर स्थापित किये गए थे। मूल योजना पाइपलाइन को जगदीशपुर से हल्दिया तक ले जाने की थी। लेकिन कार्यान्वयन इस लगभग एक दशक की देरी की प्रशंसा करनी होगी कि इसके चलते न केवल कार्यान्वयन की लागत बढ़ गई बल्कि यूरिया की आयात कीमत भी बहुत बढ़ गई। संभव है कि सरकार इस बीच भीमकाय पब्लिक सैक्टर गेल के स्थान पर किसी निजी खिलाड़ी को लाने की संभावना तलाशती रही हो।

यह खुशी की बात है कि वाराणसी, पटना, गोरखपुर व बरौनी के लिए स्पर लाइन के साथ फूलपुर (यूपी) से डोभी (गया) तक का परियोजना का प्रथम चरण 2019 में पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में पाइपलाइन को पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक बढ़ाया जाना है तथा इस रास्ते में स्पर लाइनों में बरौनी, बोकारो, रांची, राऊरकेला, संबलपुर, झारसुगुड़ा, अंगुल, कटक, भुवनेश्वर, पारादीप, जमशेदपुर, दुर्गापुर, कोलकाता व हल्दिया को जोड़ा जाना है। कुल मिलाकर पाइपलाइन की लम्बाई में ओडिशा में 72 कि.मी., झारखंड 524 कि.मी. और पश्चिम बंगाल में 550 कि. मी. है। तेल व गैस मंत्रालय के अनुसार दूसरे चरण की प्रगति संतोषजनक है। डोभी– दुर्गापुर पाइपलाइन का भाग दिसम्बर 2019 तक पूरा होना था जिसमें अब तक एक वर्ष से अधिक की देरी हो रही है पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर के पास पानागढ़ में मेटिक्स फर्टिलाइजर का परिचालन उसी गैस की आपूर्ति पर निर्भर है और इसके अभाव में पूरी तरह से तैयार यह संयन्त्र बेकार पड़ा है। तीसरे चरण में बरौनी से गुवाहाटी तक 629 कि.मी. पाइपलाइन बिछाने का काम भी रास्ते पर है। पाइपलाइन को अंगुल से मुम्बई तक बढ़ाये जाने की भी योजना है। जेएचबीडीपीएल पाइपलाइन के लिए संभावित गैस स्त्रोतों में गुजरात के दहेज से रीगैसिफाइड एल.एन.जी., तथा महाराष्ट्र के डाभोल से एल.एन.जी. टर्मिनल वाया विजयपुर–औरैया–फूलपुर पाइपलाइन तथा कोल बेड मीथेन (सी. बी.एम.) परियोजना भी शामिल है।

नेशनल गैस ग्रिड की स्थापना पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता लेकिन आयातित तरल प्राकृतिक गैस पर अतिनिर्भरता चिंता का विषय है क्योंकि यहाँ भी इम्पोर्ट लॉबी बहुत शक्तिशाली है और विकल्प अवश्य ही तलाशे

जाने चाहिए। कोल बेड मीथेन (सी.बी.एम.) या मीथेन रिच शेल गैस की तलाश में बहुत ही कम प्रगति है जबकि इस गैस के भंडार देश में अधिक हैं। ऐसी परियोजनाओं का जिम्मा जिन खिलाड़ियों को सौंपा गया है वे फिसड्डी साबित हुए है। इसका एक उदाहरण मै० एस्सार ऑयल का है जिन्हे पश्चिम बंगाल के रानीगंज इलाके में दिये गए सी.बी.एम. ब्लॉक से सी.बी.एम. निकालने का जिम्मा सौंपा गया था। परिणाम यह हुआ कि यूरिया बनाने के लिए उनकी ही सहयोगी कंपनी मै० मेटिक्स फर्टिलाईजर्स एंड कैमिकल्स गैस की अनुपलब्धता के चलते बेकार पड़ी है।

आत्मनिर्भरता के लिए एकमात्र उपाय है कि ब्लॉक ओ.एन.जी.सी. को दिये जाए जोकि यह सरकार कभी नही करेगी क्योंकि वह निजी पूँजी से 'आत्मनिर्भर भारत' बनाना चाहती है।

निष्कर्ष

पाँच संयन्त्रों का निर्माण कार्य पूरी गति पर है और 2023 तक इनके पूरा हो जाने की उम्मीद है। लेख में जिक्र किया गया है कि प्राइवेट सैक्टर की दो और यूरिया उत्पादक इकाईयाँ – आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा में नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर के पास पानागढ़ में मेटिक्स फर्टिलाईजर्स एंड कैमिकल्स फिलहाल कम्पनियों द्वारा लोन न चुकाने के कारण बेकार पड़ी है। जहाँ तक मेटिक्स का प्रश्न है तो यह दरबारी पूँजीवाद की कथा है जिसके लिए एक अन्य लेख की आवश्यकता है। अब उन्हें संकट से उबारने के लिए नये प्रमोटर्स को तलाशा जाएगा। नेचुरल गैस की आपूर्ति सुनिश्चित होने तथा नए प्रमोटर्स जिनमें कुछ केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने है, के साथ ये संयन्त्र भी उत्पादन शुरु कर सकते है और इस तरह अगले तीन वर्षों में आयात में 9 मिलियन टन तक की कमी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन हमें समझना होगा कि देश को जो कुछ भी लाभ यूरिया उत्पादन में होगा वह केवल सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से ही होगा और ऐसा होता है तो उसको मोदी सरकार द्वारा अपनी उपलब्धि गिनना तथ्यात्मक रुप से उनके निजी पूँजी के बल पर बनने वाले "आत्मनिर्भर भारत" के साथ विश्वासघात होगा। अंत में निष्कर्ष के रूप में कुछ शब्द। यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के लिए चीन ने क्या किया? यदि इसका अध्ययन करे तो हम अपने देश के लिए भी वास्तविक विकल्प प्राप्त कर सकते है। भारत की तरह ही चीन के कोयला भंडारों में राख की मात्रा बहुत अधिक है। 1990 के दशक में नाफ्था तथा फ्यूल ऑयल एल एस एच एस के साथ यूरिया का उत्पादन करने वाले चीन के संयन्त्रों को भी पुराने पड़ जाने तथा महँगे साबित होने की चुनौती का सामना करना पड़ा था। प्राकृतिक गैस की उपलब्धता भी बहुत ही कम थी। लेकिन चीन ने एल एन जी के आयात का रास्ता तलाशे बगैर नाफ्था व ऑयल आधारित संयन्त्रो को कोल आधारित संयन्त्रो में बदलने का फैसला किया और 5–6 वर्षों के भीतर ये संयंत्र कोयले के फीड– स्टॉक के रूप में इस्तेमाल के लिए सफलता पूर्वक तैयार कर लिए गये। उन्होंने ज्यादा राख की मात्रा वाले कोल को उचित मात्रा में (एक संवर्धित उत्पाद) के साथ मिलाकर इच्छित परिणाम हासिल कर लिया। वास्तव में आत्मनिर्भरता की दिशा में यह सटीक कदम था। तलचर संयन्त्र को चीन से आयात की गयी इसी प्रोद्योगिकी की मदद से पुनर्जीवित किया जा रहा है और यदि अन्य संयन्त्रो को पुनः चालू करने के लिए भी एल एन जी के स्थान पर कोयले के इस्तेमाल का यह विकल्प अपनाया जाता तो सचमुच वह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कार्यान्वयन होता। क्या मोदी सरकार इस रास्ते पर चलेगी? पूरी संभावना है कि नहीं क्योंकि यह सरकार कोल क्षेत्र का भी निजीकरण करने पर तुली है। प्राइवेट कॉरपोरेट के हित केवल मुनाफे से संचालित होते हैं और वे कभी भी आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भरता में योगदान नहीं कर सकते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कभी और कहीं नहीं हुआ है।

औद्योगिक दुर्घटनाओं को कम करना

डॉ० एम पी सुकुमार नायर

कोविड–19 महामारी में हुए लॉकडाउन में औद्योगिक दुर्घटनाओं का बढ़ना उद्योग व सरकारों के लिए चिन्ता का विषय बन गया है।

आंध्र प्रदेश में पिछले दो महीने में एक के बाद एक चार दुर्घटनायें हुई हैं इनमें सबसे ताजा दुर्घटना 13 जुलाई को विशाखापट्टनम के बाहरी इलाके में स्थित रामके फार्मा सिटी के सॉलवेंट रिकवरी प्लांट–विशाखा में लगी आग और धमाके की है। अन्य दुर्घटनाओं में 7 मई को एल जी पॉलीमर प्लान्ट से स्टायरीन मोनोमट युक्त जहरीली गैस का रिसाव; 26 जून को कुरनूल जिले के नंदयाल में एस.पी.वाई. एग्रो इंडस्ट्रीज से अमोनिया गैस का रिसाव; तथा 30 जून को सेनोट लाइफ सांइसेज फेसिलिटी से हुआ रिएक्ट धमाका शामिल हैं। इन दुर्घाटनाओं में 19 लोगों की जानें गई हैं और कई लोग घायल हुए है।

जैसा कि सब जानते है; कि दो महीने से भी कम समय में इतनी सारी औद्योगिक दुर्घटनायें स्पष्ट रुप से औद्योगिक सुरक्षा के प्रंबध में कोताही व लापरवाही बरतने का परिणाम है और इससे संकेत मिलता है कि स्थिति कितनी खराब है। मौजूदा समय में औद्योगिक दुर्घटनाओं के बारे में उसकी रोकथाम के बारे में जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति यह दावे से कहेगा कि उपलब्ध विशेषज्ञता के साथ ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है बशर्ते कार्यस्थलों पर सुरक्षा बनाये रखने की जिम्मेदारी रखने वाला सरकारी विभाग अपना काम करे। इसमें यह वास्तव में नोट करने की बात है कि एल.जी. पॉलीमर्स दुर्घटना के मामले में राज्य सरकार तेजी से हरकत में आयी और जाँच करने वाली कमेटी की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया।

कैमिकल प्रोसोसिंग इंडस्ट्री में 35 वर्ष लगाने वाले एक व्यक्ति के रुप में मेरा मानना है कि सरकार की कार्यवाई पीडितों के पुनर्वास तक सीमित न होकर मानकों का पालन न करने के दोषियों को पकड़ने तथा सिफारिशों पर अमल को सुनिश्चित करा कर यह साफ करने तक जानी चाहियें कि ऐसी दुर्घाटनायें फिर घटित न हो। बहुत अच्छे से डिजाईन व भली–भांति संचालित कैमिकल फैक्ट्रियों में भी दुर्घाटनायें होती है जिसमें मानवीय भूल या गलती बड़ा कारण होती है। एक और अहम जरुरत हमारे औद्योगिक मजदूरों के बीच एक सुरक्षित कार्य संस्कृति को बनाने की है जो हमारी संगठनात्मक संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग हो जिसके लिए संचालित कंपनियों को प्रथमतः जिम्मेदार बनाया जाये और ऊपर से कार्यस्थलों पर सुरक्षा के सम्बन्ध राज्य सरकार के विभाग द्वारा यथायोग्य पेशेवर सुपरवीजन हो। इस मामले में यह सराहनीय होगा कि सरकार तुरन्त ही सभी खतरनाक कार्य स्थलों की समीक्षा करे तथा इंडस्ट्री में सुरक्षित कार्य प्रैक्टिस की योजना तैयार करे। श्रम शक्ति तथा अन्य सम्बन्धितों को जरुरी प्रशिक्षण दिया जाये ताकि वे इससे एक सुरक्षित कार्य संस्कृति का विकास कर सकें। इसके साथ ही उन्हें दुर्घटना की परिस्थितियों में जोखिम विश्लेषण कर उनके आयामों से भी परिचित कराया जाना चहिये। उन्हें चूक होते–होते रह जाने की स्थितियों और संयन्त्र व कारखानों में असामान्य स्थिति पैदा होने पर उसे समझने आदि के बारे में भी तैयार किया जाना चाहिये।

संयुक्त ट्रेड यूनियनों की कार्रवाहियाँ

अगस्त में केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की आम व एकजुटता कार्रवाहियाँ

10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (सीटीयूएस) – इन्टक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ, और यूटीयूसी के संयुक्त मंच ने अपनी 18 जुलाई की बैठक के बाद, भारत में मजदूर वर्ग की एकजुट कार्रवाई के कार्यक्रम को प्रसारित किया।

इसमें कहा गया है, ''इसलिए केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों/एसोसिएशनों के एकजुट मंच ने निरंतरता के साथ क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की जनविरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। यह तय किया गया था कि;

1. 9 अगस्त ''भारत छोड़ो दिवस'' को देशव्यापी सत्याग्रह/जेल भरो या जुझारु आंदोलन के किसी अन्य रूप के माध्यम से सभी कार्यस्थलों/औद्योगिक केंद्रों/जिला मुख्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों आदि में ''भारत बचाओ दिवस'' के रूप में मनाया जाना चाहिए।
2. कोयला मजदूरों की हड़ताल के दिन, 18 अगस्त 2020 को सभी कार्यस्थलों पर जुझारु एकजुटता की कार्रवाई; और विषेश रूप से, पीएसयू, जहाँ भी संभव हो, हड़ताल की कार्रवाई की संभावना तलाश की जानी चाहिए।
3. प्रतिरक्षा क्षेत्र की यूनियनों/फेडरेशनों ने संयुक्त रूप से स्ट्राइक बैलट के आधार पर 99 प्रतिशत से अधिक मजदूरों द्वारा अनुमोदित हड़ताल के लिए नोटिस देने की योजना बनाई है। वे सितंबर के मध्य में कभी भी हड़ताल की कार्रवाई पर जा सकते हैं। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों के एकजुट मंच ने प्रतिरक्षा क्षेत्र की हड़ताल के साथ सरकार की नीतियों के खिलाफ देशव्यापी आम हड़ताल के विचार की कल्पना की और सभी संबंधितों को उस दिशा में तैयारी शुरू करने का आह्वान किया।
4. इस पर ध्यान दिया जाये कि स्कीम वर्कर्स यूनियनों/फेडरेशनों (आँगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील आदि) ने संयुक्त रूप से 7 और 8 अगस्त 2020 को दो दिनों की हड़ताल पर जाने का फैसला किया है जो 9 अगस्त 2020 को देशव्यापी सत्याग्रह/जेल भरो आंदोलन भी करेगी। केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों की संयुक्त बैठक ने सभी सम्बन्धितों से योजना वर्कर्स के साथ एकजुटता व्यक्त करने की कार्रवाई के लिए कहा है।
5. रेलवे क्षेत्र की यूनियनों/फेडरेशनों के साथ समन्वय में, रेलवे के निजीकरण की सरकार की मुहिम के खिलाफ देशव्यापी अभियान जारी रखने का भी निर्णय लिया गया है। रेलवे फेडरेशनों ने बताया कि वे उचित समय पर अपनी प्रतिक्रिया/कार्रवाहियों की योजना भी बना रहे हैं।
6. यह सहमति हुई कि भारत के राष्ट्रपति को सम्बोधित एक याचिका को अभियान के रूप में जो कि केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के बीच प्रसारित होना है, को सुझावों प्राप्त करने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा और फिर इसे संगठनात्मक अभियान के रूप में शुरू किया जाएगा। विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए एक अन्य याचिका शुरू करने के लिए एक और सुझाव दिया गया था। यह भी तय किया गया कि 9 अगस्त के कार्यक्रम की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा और इसे प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों का मंच एक बार फिर 27 जुलाई को बैठक करेगा।

हम केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों की सभी राज्य स्तरीय कमेटियों का आह्वान करते हैं कि वे अगले चरण के आन्दोलन के बारे में योजना बनाने के लिए क्षेत्रीय फेडरेशनों और एसोसिएशनों को आमंत्रित करने के लिए अपनी बैठकें आयोजित करें और इस अभ्यास को जिलों एवं उद्यम/उद्योग स्तर तक ले जाऐं।

उद्योग एवं क्षेत्र

सड़क परिवहन

5 अगस्त 2020 को

परिवहन कामगारों का राष्ट्रव्यापी विरोध

परिवहन कर्मचारियों की अखिल भारतीय समन्वय समिति एआईसीसीओआरटीडब्ल्यूओ ने केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को परिवहन कर्मचारियों द्वारा अपनी 12 सूत्रीय माँगों के लिए 5 अगस्त 2020 को देशव्यापी विरोध दिवस मनाने के बारे में सूचित किया। माँगों में शामिल हैं – बढ़ी हुई उत्पाद शुल्क की और 7 जून से बढ़ी हुई कीमतों की वापसी; – पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाना; – सड़क परिवहन मजदूरों के लिए अलग सामाजिक सुरक्षा कानून; – मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की वापसी; – असंगठित क्षेत्र के परिवहन श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय वेतन नीति; – एसटीयूएस (राज्य सड़क परिवहन उपक्रम) को बजटीय सहायता; – डीजल और मोटर वाहन कलपुर्जों पर उत्पाद शुल्क और बिक्री कर से एसटीयूएस को छूट; – इलेक्ट्रिक बसें केवल एसटीयू के लिए; सभी असंगठित क्षेत्र के परिवहन कर्मचारियों को छह महीने तक रु० 7500 प्रति माह आदि।

ऑल इंडिया कोओर्डीनेशन कमेटी ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट वकर्स ऑग्रेनाइजेशन्स (एआईसीसीओआरटीडब्ल्सूओ) जिसमें नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (एटक), ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (सीटू), इंडियन नेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (इन्टक), महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कामगार संगठन (एचएमएस), लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (एलपीएफ), टीयूसीआई, डीटीसी वर्कर्स यूनिटी सेंटर (एआईयूटीयूसी), तेलंगाना मजदूर यूनियन (टीएसआरटीसी), तमिलनाडु गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन स्टाफ फेडरेशन (टीजीएससीएसएफ), सर्व कर्मचारी संघ (यूकेआरटीसी) शामिल हैं।

सड़क परिवहन उद्योग, माल और यात्री दोनों ही, कोविद महामारी के पहले से ही डीजल की कीमतों में उच्च वृद्धि, तीसरे पक्ष के बीमा प्रीमियम, टोल शुल्क, सड़क कर और परिवहन विभाग से सम्बन्धित कई अन्य शुल्कों की भारी वृद्धि सहित सरकार की नीतियों के कारण संकट में थे।

छोटे मालिकान; स्व–नियोजित ऑटो रिक्शा, टैक्सी और ट्रक चालक; असंगठित परिवहन क्षेत्र के मजदूर पहले से ही गंभीर संकट में थे। इन मजदूरों के पास श्रम कानूनों की कोई सामाजिक सुरक्षा और कवरेज नहीं है। वे पुलिस और अन्य अधिकारियों के उत्पीड़न का सामना करते हैं। पुलिस और परिवहन अधिकारियों द्वारा यातना के कारण कुछ मजदूरों के मरने की घटनाऐं होती हैं। कोविद महामारी उनकी समस्याओं में और जुड़ गयी है और उद्योग वस्तुतः लॉकडाउन के कारण ध्वस्त हो गया, कुछ मजदूरों ने आत्महत्या कर ली।

पूरे देश में एसटीयू परिचालन की सर्पिल लागत, कोई पूँजी योगदान न होने, निजी गाड़ियों के अवैध संचालन आदि के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, मजदूर, श्रमशक्ति में कटौती के परिणामस्वरूप कार्यभार में वृद्धि के साथ गैर–भुगतान, वेतन एवं देय सेवानिवृत्त राशि के भुगतान में देरी; और मार्च 2021 तक डीए का स्थगन आदि के चलते बलि का बकरा बन रहे हैं।

विश्व बैंक की एक परियोजना के तहत एसटीयू के लिए लगभग एक लाख निजी बसों की खरीद की जा रही है। एआईसीसीओआरटीडब्ल्सूओ ने माँग की है कि इसके बजाय, केंद्र सरकार को एसटीयूएस के लिए एक लाख

बसों की खरीद करनी चाहिए। 5 अगस्त का विरोध ऐसे हालातों के चलते और न्यायोचित माँगों को लेकर किया जा रहा है।

29 जुलाई को, सीटू ने अपनी राज्य कमेटियों और अन्य फेडरेशनों से ''विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए परिवहन कर्मचारियों को जुटाने के लिए सम्बन्धित यूनियनों को सक्रिय करके इस कॉल को लागू करने में सड़क परिवहन मजदूर संगठनों को पूर्ण समर्थन और सहायता प्रदान करने का आह्वान किया है''; और जहाँ भी संभव हो सोशल मीडिया, लीफलेट और पोस्टरों के माध्यम से विरोध दिवस के समर्थन में सीटू के सदस्यों और मजदूर वर्ग के सभी तबकों के बीच व्यापक प्रचार करें।

मजदूर–विरोधी जन–विरोधी एम.वी. अधिनियम 2019

मसौदा नियम अधिसूचित

20 जुलाई को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए एक अलग ज्ञापन में, ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (सीटू) ने जीएसआर 425 (ई) के रूप में अधिसूचित एमवी रूल्स 2020 1 जुलाई 2020; के मसौदे पर आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए, कोविद–19 महामारी के संक्रमण और मृत्यु दर की उच्चता के कारण और लॉकडाउन के चलते परिवहन कर्मचारियों के आन्दोलन पर गंभीर प्रतिबन्धों के कारण 31 दिसंबर 2020 तक की तारीख बढ़ाने की माँग की है।

कोविद लॉकडाउन का लाभ उठाते हुए, मोदी सरकार ने मजदूर–विरोधी और जन–विरोधी एमवी (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत केंद्रीय नियमों का मसौदे की अधिसूचना जारी की, जिसमें सड़क परिवहन क्षेत्र, इसके मजदूरों और राज्यों के राजस्व में व्यापक और गंभीर निहितार्थ हैं। इसमें संवैधानिक और कानूनी पहलू भी हैं क्योंकि यह राज्यों के

(30.07.2020)

योजना कर्मी

स्कीम वर्कर्स 3 दिनों का एक्शन प्रोग्राम;

7–8 अगस्त को हड़ताल; 9 अगस्त को जेल भरो

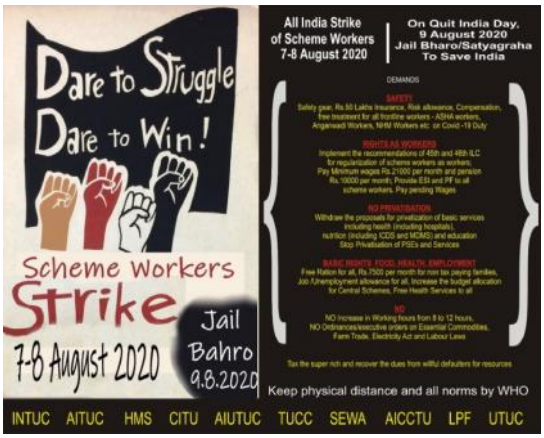

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों से सम्बद्ध स्कीम वर्करों की विभिन्न यूनियनों और फेडरेशनों ने 3 दिन के एक्शन प्रोग्राम आयोजित करने का फैसला किया– 7–8 अगस्त को 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल का समापन, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर 9 अगस्त के *भारत बचाओ दिवस* कार्यक्रम मजदूरों क करने संयुक्त जेल भरो/सत्याग्रह में शामिल हुए।

उनके ज्वलन्त मुद्दों और भाजपानीत सरकार की मजदूर–विरोधी नीतियों को लेकर, लीफलेट और सोशल मीडिया आदि के माध्यम से योजना कर्मियों के बीच व्यापक अभियान शुरू किया गया। योजना कर्मियों के विभिन्न अन्य तबकों, विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में काम करने वाले तबकों से संपर्क किया गया। और 3 दिनों के एक्शन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रयास किया गया। *(30/07/2020)*

राज्यों से

कर्नाटक

श्रम कानूनों में प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों का विरोध

ज्वाइन्ट कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन्स (जेसीटीयू) ने 11 मई को बैंगलोर में लेबर कमिश्नर के कार्यालय के सामने भाजपायी कर्नाटक सरकार द्वारा कोविड–19 लॉकडाउन के दौरान हुए 'नुकसान' की भरपायी के लिए उद्योग मालिकों को श्रम कानूनों के कार्यान्वयन से छूट देने के प्रयासों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। रिपोर्ट कहती है, येदियुरप्पा सरकार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में अपने समकक्षों की तरह; सभी प्रमुख श्रम कानूनों को कमजोर करने के लिए तैयार है, जो कि फैक्ट्री अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, संविदा श्रम अधिनियम आदि में संशोधन करके समाप्ति, छंटनी और बंद होने आदि को नियंत्रित करते हैं। *द न्यूजक्लिक* और *द हिंदू* ने रिपोर्ट किया है।

इसके बाद, एफकेसीसीआई (फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री) ने सीएम और उद्योग मंत्री को अपने ज्ञापन में 'राज्य में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए 3 साल के लिए मौजूदा श्रम कानूनों को स्थगित करने की माँग की और चेतावनी दी कि अगर इस निवेदन का पालन नहीं होगा तो वे अवसर खो सकते हैं, खासकर जब अन्य राज्य पहले से ही ऐसा कर चुके हैं।'

23 जुलाई को कैबिनेट की बैठक के बाद, कर्नाटक सरकार ने श्रम कानूनों में बड़े बदलावों की घोषणा की ''कोविद–19 की मार से उद्योगों की मदद करने और नई औद्योगिक नीति 2020–2025 के तहत निवेश को आकर्षित करने के लिए जो मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया गया था''। ''औद्योगिक एसोसिएशनें हमसे बात कर रहे हैं। उद्योग मंत्री जगदीष शेट्टार ने कहा कि आज कई श्रम कानूनों में संशोधन किया जाना है और सुधार की दिशा में कदम उठा रहे हैं।

शोषित प्रस्तावित परिवर्तन वैधानिक कवरेज को समाप्त करने वाले हैं – औद्योगिक विवाद अधिनियम में बंद करने के लिए पूर्व सरकार अनुमति लेने के लिए श्रमिकों की संख्या की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर; कारखानों में बिजली और बिना बिजली वाले कारखानों में श्रमिकों की संख्या की न्यूनतम सीमा, ओवरटाइम काम में घंटों की सीमा बढ़ाकर, महिलाओं को रात की पाली में काम करने, व्यक्तियों की छूट के लिए नियम बनाने और काम के घंटे बढ़ाने की अनुमति देता है; ठेका श्रम अधिनियम में श्रमिकों की न्यूनतम संख्या की सीमा बढ़ाना; औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेशों) में राज्य के ठेका एवं नियत अवधि के रोजगार से संबंधित नियम हैं।

जेसीटीयू का विरोध

तुरन्त ही, 24 जुलाई को, ज्वाइन्ट कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन्स (जेसीटीयू) की संयुक्त समिति, जो इन्टक, एटक, एचएमएस, सीटू, एआईयूटीयूसी, एआईसीसीटीयू, टीयूसीसी, एचएमकेपी और गारमेंट एंड टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन ऑफ बैंगलोर (जीएटीडब्ल्यूयू) की राज्य इकाइयों का संयुक्त मंच; राज्य श्रम मंत्रालय को ज्ञापन सौंपकर श्रम कानूनों में प्रस्तावित नियोक्ता–समर्थक बदलावों पर कड़ा विरोध जताया, न केवल श्रमिकों के हितों के खिलाफ, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ भी, विशेष रूप से तब, जब कोविद–19 लॉकडाउन के बीच में, अधिकांश देशों में आय–गारंटी योजनाऐं, नौकरी की अनिवार्य सुरक्षा, किराए में छूट और मजदूरों सहित अपने नागरिकों के लिए उपयोगिता बिल की पेशकश की गई है। जेसीटीयू ने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों से कर्नाटक में 80% से अधिक कारखाने श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इसमें एक वर्ष के लिए वीडीए वृद्धि को स्थगित करने का मुद्दा भी है।

जेसीटीयू ने प्रस्तावित 6 सूत्रीय माँगों, जिसमें प्रस्तावित श्रम कानूनों में संशोधन; आयकर के दायरे से बाहर प्रति परिवार प्रति माह रु० 7500 की राहत; मौजूदा श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए त्रिपक्षीयता की बहाली; 'हायर एण्ड फायर' को रोकने के लिए; और असंगठित कामगार कल्याण बोर्डों और उनकी फंडिंग को मजबूत करने को लेकर राज्यव्यापी प्रत्यक्ष कार्रवाई को अधिसूचित किया है।

29 जुलाई को जेसीटीयू की संयुक्त कार्रवाई

29 जुलाई को, जेसीटीयू के आह्वान पर, हजारों मजदूरों ने 17 जिलों में 100 से अधिक स्थानों पर फैक्ट्री गेटों और औद्योगिक केंद्रों के सामने जुझारु प्रदर्शन किये और आदेश की प्रतियां जलाईं और बेंगलुरु में कर्मिका भवन के सामने श्रम आयुक्त के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। राज्य की भाजपा सरकार के अध्यादेश के माध्यम से एक वर्ष के लिए वीडीए को फ्रीज करने और स्थगित करने, कई श्रम कानूनों में बदलाव के साथ ही स्थायी रोजगार की जगह निश्चित रोजगार की शुरुआत करने के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।

सरकार ने 30 जून को एक अधिसूचना जारी की जिसमें मॉडल स्थायी आदेशों के नियमों में निश्चित अवधि के रोजगार के प्रावधान को शामिल किया गया। नियोक्ताओं ने न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत देय वीडीए को 4 महीने के लिए टालने की माँग के खिलाफ, जैसा कि राज्य के न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड में ट्रेड यूनियनों द्वारा जोरदार विरोध किया गया था, उद्योगपति–समर्थक बीजेपी सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से देय वीडीए 417 रुपये के भुगतान को 1 अप्रैल 2021 तक टालने का आदेश जारी किया है। यह मालिकों को कोविद–19 लॉकडाउन के कारण लाभ में कमी को कवर करने के लिए मजदूरों की कीमत पर 2,275 करोड़ रुपये की बढोत्तरी प्राप्त करने में मदद करेगा।

राज्य सरकार, जो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 2.5.2020 के अनुसार निर्देशों के आधार पर मई 2020 में ही कुछ अन्य राज्य सरकारों की तर्ज पर श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए तैयार थी, ट्रेड यूनियनों और राज्य के सभी विपक्षी दलों के विरोध के कारण रोक दिया था।

फिर भी राज्य सरकार ने 11.5.2020 को केंद्रीय गृह मंत्रालय को श्रम कानूनों को बदलने के प्रस्तावित अध्यादेष की पूर्व स्वीकृति के लिए लिखा था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 2.7.2020 के द्वारा प्रस्तावित अध्यादेष को मंजूरी दे दी। 23 जुलाई की अपनी बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने श्रम कानूनों को बदलने के लिए अध्यादेष को अंतिम रूप दिया और अंत में, अध्यादेष को 31 जुलाई 2020 को अध्यादेष संख्या 2020 के 15 – औद्योगिक विवाद और कुछ अन्य कानून (कर्नाटक संषोधन) अध्यादेष, 2020 के रूप में घोषित कर दिया।

इस अध्यादेष के द्वारा, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 को संशोधित करके कारखाना बंदी से पहले राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के लिए मजदूरों की न्यूनतम संख्या की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर दी गई है। यह संषोधन राज्य के 90 प्रतिषत कारखानों के इस वैधानिक नियमन से बाहर होने का अनुमान है।

अध्यादेष के द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 में संषोधन किया गया, जिसमें बिजली चालित कारखानों के लिए मजदूरों की न्यूनतम सीमा 10 से 20 और बिना बिजली वालों के लिए 20 से 40 कर दी गई। यह अनुमानित 64 प्रतिषत कारखानों को वैधानिक विनियमन से बाहर कर देगा। इसने अधिनियम की धारा 65 में भी संषोधन किया, जो ओवरटाइम घंटे की त्रैमासिक सीमा को 75 से 125 तक बढ़ाता है।

अध्यादेष संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 की धारा (4) (क) में संषोधित करके मजदूरों की न्यूनतम संख्या 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। *(द्वारा: के.एन. उमेष; 31.07.2020)*

उत्तराखंड

1000 दिनों के लिए कोई फैक्ट्रीज एक्ट नहीं; आईडी. एक्ट

30 जुलाई को, कैबिनेट की बैठक के बाद, राज्य सरकार ने श्रम कानूनों में बड़े बदलाव लाने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने दावा किया कि यह अध्यादेश केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार लाया जा रहा है, 30 जुलाई को राष्ट्रीय *दैनिक हिंदुस्तान* को सूचना दी। केंद्र की मंजूरी के लिए अध्यादेश भेजा गया है।

अध्यादेश राज्य में नए उद्योगों के लिए 1000 दिनों के लिए फैक्ट्रीज अधिनियम, 1948 और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के सभी प्रावधानों को निलंबित करता है। इस मकसद के लिए, अध्यादेश, फैक्ट्रीज अधिनियम की धारा 5 का सहारा लेता है जो सार्वजनिक आपातकाल के दौरान छूट देने के लिए 'शक्ति प्रदान करता है'। इसी प्रकार, यह औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 36बी का उपयोग करता है जो सरकार को अधिनियमों के प्रावधानों से छूट देने का अधिकार देता है।

अध्यादेश सभी मौजूदा उद्योगों को उन कारखानों के मजदूरों को सेवानिवृत करने और कारखाने को बन्द करने की स्वतंत्र रूप से अनुमति देता है, जिनमें 300 कर्मचारी होते हैं।

इससे पहले, 30 अप्रैल को, राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 'अधिकतम उत्पादन' के नाम पर काम के दैनिक घंटों को 8 से बढ़ाकर 11 करने का आदेश दिया था।

मजदूर विरोध

तुरन्त ही, 30 जुलाई को, सीटू और एसएफआई के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मजदूरों ने विरोध किया और सीटू कार्यालय के पास मुख्यमंत्री और राज्य के श्रम मंत्री का पुतला जलाया; आईटी पार्क में; और देहरादून के चाय बागान में और मसूरी में भी। *(द्वारा: लेखराज; 31.07.2020)*

असम

असम, पहले से ही कोविद–19 महामारी और लॉकडाउन का समाना कर रहा था, विनाशकारी बाढ़ कामकाजी जनता की जान, आजीविका और घरों को नुकसान पहुँचा रही है; ढ़ाँचागत व्यवस्था को नष्ट कर रही है, संचार और आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा डाल रही है; जल जनित बीमारियों के कारण बड़ी संख्या में रुग्णता और महामारी फैलने का खतरा भी है।

यहाँ तक कि इन दुहरी आपदाओं में, सीटू की असम राज्य समिति ने कोविद–19 लॉकडाउन प्रतिबंधों और गतिहीनता के बावजूद बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत और पुनर्वास कार्य शुरू किया; और बाढ़ पीड़ितों के राहत कोष में योगदान के लिए अपने सदस्यों और आम जनता से अपील की।

31 जुलाई को एक पत्र में, सीटू के महासचिव तपन सेन ने असम राज्य कमेटी को इस आपदा के दौरान पीड़ित मानवता की उनकी सराहनीय सेवा के लिए बधाई दी, जो शारीरिक आवागमन पर प्रतिबंध के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों तक पहुँचे हैं। इसके साथ ही, सीटू केंद्र ने बाढ़ पीड़ितों के बीच उनके राहत कार्य में सांकेतिक योगदान के लिए अपनी ओर से असम राज्य कमेटी को 1 लाख रुपये भी भेजे हैं।

तमिलनाडु

आँगनवाड़ी कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर राज्यव्यापी प्रदर्शन किए

10 जुलाई को, यूनियन के स्थापना दिवस पर, तमिलनाडु आँगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन (सीटू), के लगभग 20,000 आँगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स ने योजना के निजीकरण प्रयासों के खिलाफ राज्य के 30 जिलों में 325 परियोजनाओं के 14,596 आँगनवाड़ी केंद्रों पर प्रदर्शन में शामिल हुए। और कोविद से सम्बन्धित किये गये वर्कर्स एवं हैल्पर्स के लिए सुरक्षा उपायों की माँग की गयी।

स्थानीय निकायों के कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया

फेडरेशन ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यूनियन (सीटू) ने 12 मई को 8,672 मजदूरों द्वारा 19 जिलों में प्रदर्शन किया, जिसमें तमिलनाडु सरकार द्वारा अनुमोदित ओवर हेड टैंक ऑपरेटरों के लिए न्यूनतम वेतन के कार्यान्वयन की माँग की गई थी। और मजदूरों के लिए सुरक्षा उपकरणों की माँग को लेकर 27 मई को फिर से प्रदर्शन हुए।

निजीकरण के खिलाफ कोयला मजदूरों के साथ एकजुटता

कोयला मजदूरों के साथ एकजुटता में निजीकरण और कोयले के वाणिज्यिक खनन के खिलाफ लड़ाई में, सीटू जिला कमेटियों ने 1 जुलाई को कोयम्बटूर, तूतीकोरिन, तिरुवल्लूर, धर्मपुरी जिलों में प्रदर्शन किए।

सीओटीईई ने टीएनईबी के समक्ष प्रदर्शन किया

सीटू के सेन्ट्रल ऑग्रेनाईजेशन ऑफ तमिलनाडु इलेक्ट्रासिटी एम्पलॉईज (सीओटीईई) ने 2 जुलाई को 129 केंद्रों पर तमिलनाडु बिजली बोर्ड के कार्यालयों के समक्ष प्रदर्शन किया, जिसमें 5,710 मजदूर शामिल हुए।

निर्माण मजदूरों का आन्दोलन

तमिलनाडु के निर्माण मजदूरों ने 13 जुलाई को राज्य सरकार द्वारा घोषित राहत कोष की माँग को लेकर प्रदर्शन किया। 32 जिलों में लगभग 5,500 मजदूरों ने भाग लिया।

सीडब्ल्यूएफआई के आह्वान के अनुसार, इसकी तमिलनाडु कमेटी ने 7 जुलाई को 7,759 निर्माण मजदूरों ने शामिल हो कर 454 स्थानों पर प्रदर्शन किया है।

पावर लूम वर्कर्स ने प्रदर्शन किया

सीटू राज्य कमेटी के पावरलूम फेडरेशन ने 8 जिलों में प्रदर्शन किया, जिसमें 2400 पावरलूम मजदूर शामिल हुए, जिन्होंने नकद राहत और रोजगार की माँग की।

सहकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन

तमिलनाडु कोऑपरेटिव एम्प्लाइज फेडरेशन ने 1,569 स्थानों पर प्रदर्शन किया, जिसमें 3,569 कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसमें सरकार से 50 लाख रुपये कोविद–19 मृत्यु राहत, मुफ्त चिकित्सा परीक्षण, 30 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा और कोविद –19 से लड़ने वाले अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को उचित सुरक्षा उपकरण प्रदान करने की माँग की गयी। *(20/07/2020)*

पंजाब

सरकार के आदेश की अवज्ञा; ट्रेड यूनियन अधिकारों का समर्थन

अभी हाल ही में, शहीद भगत सिंह नगर जिले के प्रशासन ने, श्रीयांस पेपर लिमिटेड के प्रबंधन के कहने पर, श्रीयांस पेपर मिल वर्कर्स यूनियन (सीटू) को यूनियन की आम सभा आयोजित नहीं करने के लिए नोटिस भेजा।

सरकार के आदेश को धता बताते हुए और प्रबंधन के दांव को परास्त करते हुए, यूनियन ने सफलतापूर्वक अपनी आम सभा की बैठक शांतिपूर्वक आयोजित की और गुप्त मतदान के माध्यम से चुनाव किया, जिसमें कारखाने के सभी 433 मजदूरों ने मतदान में भाग लिया। औा राज कुमार को नए अध्यक्ष और राम बाबू को नए महासचिव के रूप में चुना।

जिन मजदूरों ने प्रबंधन के कहने पर कार्य किया, उन्होंने बैठक में ही लिखित रूप में माफी माँगी। सीटू पंजाब राज्य कमेटी ने मजदूरों और नवनिर्वाचित नेताओं को सरकार के आदेश की अवहेलना करने और बैठक आयोजित करने और चुनाव कराने के ट्रेड यूनियन अधिकारों को बरकरार रखने और प्रबंधन के कदम को परास्त करने के लिए बधाई दी। बैठक का मार्गदर्शन करने के लिए सीटू पंजाब के प्रदेष अध्यक्ष महान सिंह रोरी उपस्थित थे। *(31/07/2020)*

कर्नाटक में 'अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिक यूनियन' का गठन

कर्नाटक में सीटू द्वारा अंर्तराज्यीय प्रवासी मजदूर यूनियन का गठन किया गया है, जिसमें के.एन. उमेश को इसके अध्यक्ष, महंत करिअप्पा को सचिव, सोहेल मोल्ला को आयोजन सचिव और पी.एन. मुराह को कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रम विभाग के निरीक्षकों ने बेंगलुरु में सीटू कर्नाटक राज्य कमेटी के कार्यालय सूरी भवन का दौरा किया, यूनियन पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने से पहले पदाधिकारियों के रिकॉर्ड और विवरण का निरीक्षण किया।

vk|kfxd Jfedk d fy, miHkkDrk eY; lpdk vk/kkj o"k 2001=100

u- 112@6@2006&,u lhihvkb

jkT;	dsn	ebZ 2020	tqykbZ 2020
vk/kz izns'k	xqUVwj	302	305
	fot;okM+k	306	311
	fo'kk[kkiÑ"ke	306	308
vle	MeMek frulqf[k;k	300	301
	xqokgkVh	292	296
	ycd flYpj	289	294
	efj;kuh tkjgkV	279	280
	jqxkikjk rsstiqj	264	270
fcgkj	esQ?kj&tekyiqj	355	359
p.Mhx<+	p.Mhx<+	325	326
NÑkhlx<+	fHkykbZ	333	336
fnYyh	fnYyh	314	311
Xkkok	xksok	348	352
Xqtjkr	vgenkckn	300	300
	Hkkouxj	312	312
	jktdksV	320	321
	lwjr	286	292
	oMksnjk	284	292
gfj;k.kk	Qjhnkckn	288	288
	;equkuxj	312	310
fgekpy	fgekpy çns'k	280	282
tEew ,oa d'ehj	Jhuxj	300	298
>kj[k.M	ckdkjks	313	316
	fxfjMhg	363	366
	te'kniqj	377	384
	>fj;k	374	383
	dksMek	407	406
	jkph gfV;k	417	409
dukVd	cqyxke	321	323
	cqxyqM+	306	308
	gqcyh /kkjokM+	351	354
	ejdjk	316	319
	esyqj	323	327
dqiy	,.kkdqye@vyobZ	335	339
	esy.MkD;ke	342	339
	fDoykuw	377	381
e/; çns'k	Hkksikky	342	346
	fNUnokM+k	329	332
	bUnkSj	298	306
	tcyiqj	334	341

jkT;	dsn	ebZ 2020	tqykbZ 2020
महाराष्ट्र	मुम्बई	324	326
	ukxiqj	406	410
	ukfld	384	385
	iq.k	367	367
	'kksykiqj	352	353
mM+hlk	vkSjaxkckn&rkyqdk	350	355
	jkmjdsyk	327	329
ikfMpfj	ikfMpfj	334	331
iatkc	vejrlj	353	354
	tkyU/kj	332	332
	ywf/k;kuk	311	312
jktLFkku	vtesj	299	300
	HkhyokM+k	304	306
	t;iqj	323	324
rfeyukMq	pUuS	291	296
	dksy;EcVwj	300	302
	dUuwj	346	350
	enqjkbZ	311	315
	lsye	301	298
	fr#fpjkiYyh	321	318
rsyaxkuk	xknkojh[kkuh	348	353
	gSnjkckn	279	285
	okjaxy	338	340
f=iqjk	f=iqjk	277	277
mÑkj çns'k	vkxjk	381	381
	xkft;kckn	351	351
	dkuiqj	360	360
	y[kuÅ	358	362
	okjk.klh	351	352
if'pe cxky	vklulkSy	356	356
	nkftZfyax	280	280
	nqxkiqj	341	342
	gfYn;k	406	406
	gksM+k	303	307
	tkyikbZxqM+h	286	291
	dksydkrk	302	304
	jkuhxat	310	315
	flyhxqM+h	291	299
vf[ky Hkkjrh; lpdk		330	332

सीटू का मुखपत्र

सीटू मजदूर

ग्राहक बनें

- **व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए** – वार्षिक ग्राहक शुल्क – रू0 100/–
- **एजेंसी** – कम से कम पाँच प्रतियों; 25% छूट कमीशन के रूप में;
- **भुगतान** – चेक द्वारा – ''सीटू मजदूर'' जो कनारा बैंक, डीडीयू मार्ग शाखा, नई दिल्ली–110002 पर देय

  बैंक मनी ट्रांसफर द्वारा – एसबीए/सीन0 0158101019568; ~~आइएफसीकोड~~ : सीएनआरबी 0000158;
- **संपर्कः** ई मेल/पत्र की सूचना के साथ प्रबंधक, सीटू मजदूर, सीटू केन्द्र, बी टी आर भवन, 13 ए राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002; फोनः (011) 23221306 फैक्सः (011) 23221284

अंतर्राष्ट्रीय

अमरीकी जनता के संघर्ष के साथ एकजुटता दिवस

डब्ल्यूएफटीयू के आह्वान पर, नस्लीय, सामाजिक और आर्थिक भेदभाव के खिलाफ अमरीकी जनता के संघर्ष के साथ संयुक्त रूप से सीटू के सहयोगी संगठनों द्वारा राष्ट्रीय एकजुटता दिवस आयोजित करने की तस्वीरें 24 जून को भारत के विभिन्न हिस्सों में देखी गईं, जैसा कि दुनिया भर में था।

दिल्ली–एनसीआर, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और तेलंगाना में कार्यक्रम की तस्वीरें ''सीटू मजदूर'' जुलाई, 2020 ई–संस्करण में प्रकाशित हो चुकी हैं।
आगे की रिपोर्टें हैं।

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल में कोलकाता में एक विशाल जुलूस और रैली निकालकर, वाम–नेतष्त्व वाली ट्रेड यूनियनों और अन्य जन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया था। सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार की पुलिस ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और अन्य जन संगठन के 26 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया

दिल्ली–एनसीआर

24 जून को, अमरीकी जनता संघर्ष के साथ एकजुटता और नस्लीय, जाति, रंग, लिंग, धर्म, क्षेत्र और भाषा पर आधारित भेदभाव और हिंसा के खिलाफ, भारत में और दुनिया भर में अलग–अलग जगहों पर और एटक कार्यालय में भी बैठकें आयोजित की गईं, साथ ही एटक, सीटू, एआईयूटीयूसी, एआईसीसीटीयू और यूटीयूसी के राष्ट्रीय नेताओं ने संबोधित करते हुए भारत और दुनिया में इन स्थितियों और इसके खिलाफ संघर्ष की व्याख्या की गयी।

पंजाब

सीटू के आह्वान पर, लुधियाना, रायकोट, बठिंडा, होशियारपुर, रोपड़, असरन, फतेहपुर और शहीद भगत सिंह नगर जिलों में और अन्य जगहों पर गेट मीटिंगें और जनसभाऐं आयोजित कर दिन मनाया गया। जनसभाओं को सीटू के प्रदेश महासचिव रघुनाथ सिंह, अध्यक्ष महान सिंह रोरही और अन्य ने संबोधित किया।

Posted at NDPSO New Delhi- 1 Postal Regd. No. DL(C)-01/1201/18-20 20 RNI No. 34666/79: 6th-7th of every month
Licensed to Post without prepayment under License No.U(C)-38/2018-20 (Date of Publication) - 05/07/2020)

केरल

सीटू के कोचीन पोर्ट कर्मचारियों के संगठन ने अपनी बैठक में संकल्प जताते हुए कहा, ''हम अफ्रीकी–अमेरिकी मजदूरों जॉर्ज फ्लॉयड की निर्मम हत्या का कड़ा विरोध करते हैं। हम निरंतर पुलिस भेदभाव की निंदा करते हैं और जनता के एक तबके पर हमले का विरोध करते हैं। हम नस्लवाद के आधार पर राज्य के उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संघर्ष और लड़ाई के साथ अपनी मजबूत एकजुटता को व्यक्त करते हैं।''

मध्य प्रदेश

भारत में डब्ल्यूएफटीयू से संबद्ध केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान पर, राज्य के विभिन्न हिस्सों में एकजुटता दिवस मनाया गया। राज्य की राजधानी भोपाल, सीटू, एटक, एआईयूटीयूसी, बैंकों व बीमा एवं अन्य यूनियनों के साथ संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और साथ ही नस्ल, धर्म, क्षेत्र, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर सभी प्रकार की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया।

इसी तरह का कार्यक्रम सीटू द्वारा प्रमुख षहरों इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा; पथखेड़ा, पेंच काहन और अन्य कोलियरियों में; रीवा और अन्य स्थानों पर सीमेंट कारखानों में आयोजित किया गया था।

डब्ल्यूएफटीयू अभियानः अमेरिकी जनता के संघर्ष के प्रति एकजुटता

2 जून 2020

मिनियापोलिस में पुलिस द्वारा 47 वर्षीय अफ्रीकी–अमेरिकी मजदूर जॉर्ज फ्लॉयड की नृशंस हत्या के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सप्ताह पहले शुरू हुआ लोकप्रिय जन आक्रोश, राज्य के निरंतर जारी दमन और पुलिस द्वारा क्रूरतापूर्ण बल प्रयोग के खिलाफ जारी है। देश के दो–तिहाई राज्यों में, दमनकारी ताकतों के खिलाफ राज्य की बर्बरता और नस्लवादी हिंसा के विरोध में, सैकड़ों हजार अमरीकी सप्ताहान्त में 80 से अधिक प्रमुख शहरों में सड़कों पर उतर गये।

47 वर्षीय की मौत के बाद से, सरकार जनता धमकियां दे रही है और कहा है कि ''यदि गवर्नरों और मेयरों को इसकी आवश्यकता है और स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं तो अधिक सैन्य साधनों को मुहैया कराया जा सकता है।'' एक बार और पूंजीपतियों और उनकी सरकारों ने साबित कर दिया कि आम जनता के जीवन का पूँजीपतियों के लिए कोई महत्व नहीं है।

मजदूर वर्ग के संगठन अब सामाजिक न्याय, समानता, राज्य उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष में सबसे आगे होने चाहिए। डब्ल्यूएफटीयू हर ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के प्रत्येक सदस्य का आह्वान करता है कि यदि वह अपना सम्मान करता है तो उसे अमरीकी जनता के संघर्ष का समर्थन करना ही चाहिए। हम पुलिस हिंसा को तत्काल समाप्त करने की माँग करते हैं। बेरोजगारों और गरीबों का समर्थन किया जाना चाहिए। एफ्रो–अमेरिकियों के हत्यारों को दंडित किया जाना चाहिए।

डब्ल्यूएफटीयू दुनिया के हर कोने में अपने संबद्ध संगठनों का आह्वान करता है कि वे समूहों में तस्वीरें लेकर डब्ल्यूएफटीयू अभियान में भाग लें, अमेरिकी दूतावासों में एकजुटता बयान जमा करायें और वे किसी भी सहायता की पहल कर सकते हैं।

डब्ल्यूएफटीयू सचिवमंडल

तपन सेन द्वारा सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित (फोनः 23221288, 23221306; http://www.citucentre.org, CITU email: citu@bol.net.in, citubtr@gmail.com) सम्पादक : **के हेमलता**